# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

## दिनांक 04 सितम्बर, 2006

## में विचारणीय विषयों की

## कार्यसूची

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
## 04 सितम्बर, 2006 में विचारणीय विषय-सूची



| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | 01 |
| 2. | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | 08 |
| 3. | बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।(बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्याः 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या) | 22 |
| 4. | ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में। | 26 |
| 5. | गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन। | 27 |
| 6. | गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मजिले ब्लाक्स का निर्माण कार्य। | 31 |
| 7. | एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में। | 34 |
| 8. | हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी. पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में। | 53 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस-281 तथा एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | 54 |
| 10. | खसरा संख्याः 221 स, निकट टी.वी.टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रौल पम्प के सम्बन्ध में। | 56 |
| 11. | श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। | 57 |
| 12. | प्रदेश की प्रथम भू-जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | 62 |
| 13. | ह्युमन ऐण्ड एजूकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में। | 64 |
| 14. | प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर- बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | 67 |
| 15. | कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी-1 में एसएस-।।। के ग्रीनबेल्ट में आवन्टित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या। | 89 |
| 16. | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय | |

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

# पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री राकेश कुमार मित्तल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री के.एल.मीना | सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 3. | श्री बी0बी0सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 4. | श्री राम गणेश | जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ। |
| 5. | श्री वी.पी.सिंह | नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम। |
| 6. | श्री ओम नारायण, | निदेशक, कोषागार। |
| 7. | श्री एन.आर.वर्मा | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 8. | श्री पी.के.जैन | मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, |
| 09. | श्री सी.एन.हार्डी | मुख्य वास्तुविद,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ। |
| 10. | श्री एल.एस.पी.सिंह | पर्यटक अधिकारी, पर्यटन विभाग। |
| 11. | डा. फिदा हुसैन अंसारी | सदस्य, ल.वि.प्रा.। |

अन्य उपस्थितिः

| | | |
|---|---|---|
| 12. | श्री राम बिलास यादव | सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ। |
| 13. | श्री एस.डी.दोहरे | अपर सचिव, ल.वि.प्रा.। |
| 14. | श्री सी0पी0शर्मा | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 15. | डा. मोहन यादव | वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.। |
| 16. | श्री दवनराम यादव | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |

---

नवागन्तुक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री राम बिलास यादव के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के प्रस्ताव संख्या : 15 एवं 30 पर गठित उपसमिति की आख्या अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 एवं 28 के सम्बन्ध में उपसमिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : 3 कानपुर रोड योजना भाग–1,2,3 व 4 में बेल्टिंग / गडढे. हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग–3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 4 वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक सचिव व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक व्दारा आय–व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में प्राधिकरण व्दारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों व्दारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से वर्ष 2005–06 के वास्तविक तथा 2006–07 का मूल आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 5 जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकनोपरान्त संज्ञान में लिया गया।

विषय संख्या : 6 डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी एवं प्रस्ताव अविलम्ब शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 7 — गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

विषय संख्या : 8 — गोमती नगर विस्तार योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 9 — सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।

निर्णय : — भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10 — कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना,एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : 11 — कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सेक्टर डी–1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज–।।। में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्टित भूखण्डों के कारण स्थल का भू–प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

1. सचिव, ल.वि.प्रा.,
2. मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.,
3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त समिति व्दारा प्रस्ताव में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जायेगा कि ग्रीन बेल्ट में भूखण्डों के सृजन एवं आवन्टन हेतु कौन–कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं।

विषय संख्या : 12 — कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र एवं शेष भाग पर कनवीनियेन्ट शाप्स बनाई जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दोनों के प्रवेश व्दार अलग–अलग रहें।

विषय संख्या : 13 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भॉति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

| | |
|---|---|
| विषय संख्या : 14 | बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवन्टित प्ले–फील्ड की भूमि का भू–उपयोग प्ले–फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिन्टन एकाडमी के मानको के आधार पर निर्माण अनुमन्य करते हुए, बढ़े हुए भू–भाग की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनिंग प्राविधानों में निर्धारित मानक से अधिक भू–आच्छादन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर शासन स्तर से भू–आच्छादन निर्धारित मानक से अधिक किया जाना सम्भव न हो तो प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग प्लेफील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया। |
| विषय संख्या : 15 | लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये। |
| विषय संख्या : 16 | ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 15 " सरल शमन योजना–2002 के अन्तर्गत श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्या : 34 ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तन के सम्बन्ध में" गठित उपसमिति की आख्या। |
| निर्णय : | उपसमिति व्दारा प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया। |

विषय संख्या : 17 ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 30 " भूखण्ड संख्या : 13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के कम में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में " गठित उपसमिति की आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई उपसमिति की आख्या पर विचारोपरान्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

( बी. बी. सिंह )
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

15.5.06.

(आर.के.मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

# विषय संख्या : 2 पृष्ठ संख्या : 8

## लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

| विषय क्रमांक | विषय | लिया गया निर्णय | अनुपालन |
|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। | नोट किया गया। |
| 2 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के प्रस्ताव संख्या : 15 एवं 30 पर गठित उपसमिति की आख्या अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 एवं 28 के सम्बन्ध में उपसमिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। | ल.वि.प्रा. की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 28 पर गठित **उपसमिति की आख्या विषय संख्याः 3 के रुप** में प्रस्तुत की जा रही है। परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 पर गठित समिति की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है क्योंकि पक्ष से अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र उपलब्ध कराने का लिखा गया है किन्तु |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अभी तक मानचित्र प्राप्त न होने के फलस्वरुप कार्यवाही लम्बित है। |
| 3 | कानपुर रोड योजना भाग–1,2,3 व 4 में बेल्टिंग/गडढे. हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग–3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि। | परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। |
| 4 | वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक। | वित्तीय वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक सचिव व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक व्दारा आय–व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में प्राधिकरण व्दारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों व्दारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से वर्ष 2005–06 के वास्तविक | बोर्ड व्दारा अनुमोदित आय–व्ययक 2006–07 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | तथा 2006–07 का मूल आय–व्ययक अनुमोदित किया गया। | |
| 5 | जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव। | प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकनोपरान्त संज्ञान में लिया गया। | शासन व्दारा निर्माण कार्य का दायित्व राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया है। तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। |
| 6 | डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी एवं प्रस्ताव अविलम्ब शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रषित किये जाने का निर्णय लिया गया। | निर्णयानुसार भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को दिनांक 06.06.2006 को प्रेषित किया जा चुका है। |
| 7 | गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना। | प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। | कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। |
| 8 | गोमती नगर विस्तार योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव। | भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया। | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। |
| 10 | कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना,एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। | बोर्ड व्दारा गठित उपसमिमि व्दारा दिनांक 6.7.2006 को स्थल निरीक्षण किया गया । चयनित स्थल लखनऊ महायोजना 2021 में एस.टी.पी. के लिये आरक्षित एवं उपयुक्त पाया गया। पृष्ठ– 15 से 21 तक समिति की संस्तुति अवलोकनार्थ संलग्न है। |
| 11 | कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सेक्टर डी–1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज–III में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्टित भूखण्डों के कारण स्थल का | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :<br>1.सचिव, ल.वि.प्रा.,<br>2.मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.,<br>3.मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | निर्णयानुसार समिति व्दारा बैठक की गई। समिति की संस्तुति पृष्ठ–89 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कारण स्थल का भू–प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। | लखनऊ विकास प्राधिकरण।<br><br>उपरोक्त समिति व्दारा प्रस्ताव में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जायेगा कि ग्रीन बेल्ट में भूखण्डों के सृजन एवं आवन्टन हेतु कौन–कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं। | |
| 12 | कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र एवं शेष भाग पर कनवीनियेन्ट शाप्स बनाई जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दोनों के प्रवेश व्दार अलग–अलग रहें। | लिये गये निर्णय के कम में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत जनता से आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। |
| 13 | लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भाँति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में। | विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया। | निरस्त किया गया। |
| 14 | बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिन्टन | बोर्ड व्दारा लिये गये निर्णय के कम में सचिव, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आवन्टित प्ले–फील्ड की भूमि का भू–उपयोग प्ले–फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। | एकाडमी के मानको के आधार पर निर्माण अनुमन्य करते हुए, बढ़े हुए भू–भाग की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनिंग प्राविधानों में निर्धारित मानक से अधिक भू–आच्छादन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर शासन स्तर से भू–आच्छादन निर्धारित मानक से अधिक किया जाना सम्भव न हो तो प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग प्लेफील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया। | बैडमिन्टन एकेडमी को भू–आच्छादन के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 26.6. 2006 व्दारा अवगत करा दिया गया है,किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 15 | लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान .वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये। | निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है। |
| 16 | ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 15 '' सरल शमन योजना–2002 के अन्तर्गत श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्या : 34 ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के | उपसमिति व्दारा प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया। | निरस्त किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक / कार्यालय में परिवर्तन के सम्बन्ध में'' गठित उपसमिति की आख्या। | | |
| 17 | ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 30 '' भूखण्ड संख्या : 13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के क्रम में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में '' गठित उपसमिति की आख्या। | प्रस्तुत की गई उपसमिति की आख्या पर विचारोपरान्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया गया। | निरस्त किया गया। |

**प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्थाओं, शोधन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम, जल संस्थान लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की सम्पन्न हुयी**

## बैठक दिनांक 04.07.2006 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्नानुसार।

मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आहुत की गई बैठक में, बैठक के उद्देश्यों, आवश्यकता पर विस्तृत रूप से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया कि,

- ☞ लखनऊ महानगर की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्थाओं का विरचन एवं सम्पादन तैयार की गयी महायोजनाओं के अनुरूप ही किये जाने पर कार्यवाही की जाये।
- ☞ विभिन्न विभागों द्वारा परियोजनाओं के विरचन एवं सम्पादन, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं उन्हें नगर की भविष्य की योजनाओं के अनुरूप विकसित करने, सही तकनीकी का समावेश करके पर्याप्त अनुरक्षण व संचालन की व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों द्वारा सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- ☞ विकसित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं में कमी अवरोध यदि कोई है के सुधार एवं निस्तारण तक आवश्यकतानुसार सुदृढ़िकृत करने तथा विकासशील योजनाओं में सीवरेज, ड्रेनेज के कार्य, भविष्य की अवश्यकताओं के दृष्टिगत करने का प्रयास किया जाये।
- ☞ शहरीकरण की बढती प्रवृत्ति भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन से भूमिगत स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिंता व्यक्त की गयी। भूतल पेयजल के उपयोग की योजना तैयार करने और आवश्यकतानुसार कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिये।
- ☞ लखनऊ के लिये भूतल-जल के सुविधाजनक स्रोत गोमती नदी को शहरी विकास से उत्पन्न होते प्रदूषण से बचाव के हर सम्भव प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। गोमती प्रदूषण नियन्त्रण की योजनाऐं उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्वीकृत करायी गयी है किन्तु उनकी जानकारी अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, प्राईवेट डेवलपर्स को नहीं है। जल निगम द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के प्रस्तावित कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव सूचित किये जाने की आवश्यकता है।
- ☞ यह भी अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत सीवरेज, ड्रेनेज, राईजिंग मेन तथा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के प्रस्ताव किये गये थे। संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 के प्रस्तावों में योजना के पूर्व में प्रेषित तकनीकी प्रस्ताव प्रभावित होंगे और लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकताओं की पूर्ति कदाचित सम्भव नहीं होगी। अत: वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप परियोजना में तकनीकी समावेश, संशोधन एवं पुनरीक्षण करने की आवश्कता है।

- गोमती नगर एवं संबंधित क्षेत्र, 2. कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 3. सीतापुर रोड योजना, अलीगंज योजना, जानकीपुरम् योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 4. बसंत कुंज योजना, हरदोई रोड योजना एवं संबंधित क्षेत्र की सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनाओं पर जिस ओर लखनऊ का विकास तीव्रता से हुआ है/प्रस्तावित है/सम्भावित है की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करते हुये नियंत्रित सुनियोजित एवं दीर्घकालिक परियोजनाओं का विरचन किये जाने एवं तदनुसार विकास/निर्माण की आवश्यकता है।
- इन परियोजनाओं में स्वीकृत परियोजना के मूल्य में वर्तमान आवश्यकता को सम्मिलित करते हुये लागत में यदि वृद्धि हो रही है तो इस क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं/आवंटियों से अवस्थापना सुविधा के लिये धनराशि वसूल की गयी है। अत: विकसित होने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त अन्तर की धनराशि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

बैठक के उद्देश्यों की विवेचना के उपरान्त, महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई श्री बी0यू0 बिश्नाई द्वारा गोमती एक्शन प्लान में स्वीकृत परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया।

जी.एम., जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान दो चरणों में पूर्ण कराया जाना है। प्रथम चरण में दौलतगंज में 42 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना कर दी गयी है और कार्यरूप में है।

द्वितीय चरण में गोमती में गिरने वाले 20 नालों जिसमें सिस गोमती क्षेत्र के 8 व ट्रांस गोमती क्षेत्र के 12 नालों को टेप करना तथा ककरहा में 370 एम0एल0डी0 का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण करने, पम्पिंग स्टेशन व राईजिंग मेन डालने के कार्य हेतु गोमती प्रदूषण नियन्त्रण में 263.00 करोड़ की योजना स्वीकृत है एवं इसके अधीन स्वीकृत कार्य कराये जा रहे हैं।

स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष ग्वारी कल्वर्ट के पास मुख्य पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रगति पर है। जिसमें टेप किये गये नाले व गोमती नगर योजना फेज-। एवं ।। की सीवरेज व्यवस्था को टेप करते हुये ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक शुद्धीकरण हेतु भेजने व शुद्धीकरण करने के कार्य प्रस्तावित हैं।

यह भी अवगत कराया गया कि Japan International Corporation Agency (जायका) के प्रयास से लखनऊ महानगर की सीवर व्यवस्था एवं इसके ट्रीटमेन्ट के लिये फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं इसके आधार पर सीवरेज महायोजना के अवशेष कार्यो को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में रू0 2525.00 करोड़ की योजना उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकता के अनुरूप सीवरेज महायोजना में कुल 4 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रमश: ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये ककरहा में 375 एम.एल.डी., सिस गोमती डिस्ट्रिक-1 में दौलतगंज-42 एम.एल.डी., डिस्ट्रिक-2 ख्वाजापुर में 152 एम.एल.डी. डिस्ट्रिक-4 मलंसुमऊ में 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित किये गये हैं और सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये सीवर लाईन, पम्पिंग स्टेशन, राईजिंग मेन के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं।

दौलतगंज में निर्मित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता 42 एम.एल.डी. से बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. करने की आवश्यकता प्राधिकरण की विकसित की जा रही कालोनी बसन्त कुंज के दृष्टिगत आवश्यक है। क्षमता वृद्धि की योजना बनाई जा रही है।

ककरहा में प्रस्तावित एवं स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये भूमि की व्यवस्था तत्काल आवश्यक है जहाँ पर स्वीकृत योजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण प्रस्तावित किया गया था, संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 में उस क्षेत्र को आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित कर दिया गया है। अत: लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही तुरन्त कराई जानी आपेक्षित

स्थल परिवर्तन के कारण परियोजना में लगभग रू0 300 लाख की वृद्धि सम्भावित है। स्थल परिवर्तन प्राधिकरण की भावी योजनाओं के हित में है तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण एवं उपयोग प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर फेज 1, फेज 2 एवं गोमती नगर विस्तार की आवश्यकताओं के लिये भी किया जाना है। अत: परियोजना के मूल्य में संभावित वृद्धि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर विचार किया जाना है जिसके लिये विकास प्राधिकरण में आवंटियों से धन प्राप्त करने की कार्यवाही आपेक्षित है।

ख्वाजापुर में प्रस्तावित 152 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जिसका निर्माण जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में प्रस्तावित किया गया है का भी स्थल परिवर्तन लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप आवश्यक है और यह सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना के लिये मूल रूप से निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। अत: योजना के लिये प्रस्तावित लागत रू0 493.31 करोड़ की 70 प्रतिशत धनराशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन से वित्त पोषित होगी। शेष धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किये जाने पर विचार किया जाना है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये ही आवश्यक है और इस सेवा के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से धनराशि प्राप्त की कार्यवाही आपेक्षित है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की व्यवस्था हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 जल निगम एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ दिनांक 06.07.2006 को स्थल निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल लखनऊ महायोजना 2021 में एस.टी.पी. के लिये आरक्षित और उपयुक्त पया गया। भूमि अर्जन की कार्यवाही तत्काल किया जाना आपेक्षित है। निरीक्षण के समय कानपुर रोड योजना की वर्तमान वर्षा जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी देखी गयी, किला मोहम्मदी ड्रेन से वर्तमान जल निकासी व्यवस्था की इठूरिया पुलिया के सेक्शन को उपयुक्त नहीं पाया गया, साथ ही लगभग 50 किमी0 लम्बे किला मोहम्मदी ड्रेन को अनुरक्षण एवं उपयुक्त बनाये रखने पर फिजिबिलिटी का अध्ययन कराने की कार्यवाही आपेक्षित है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1994-95 में प्राधिकरण की योजनाओं क्रमश: शारदानगर, कानपुर रोड एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वर्षा जल निकासी हेतु योजनाऐं नीलमत्था ड्रेन रेलवे लाइन के साथ सिंचाई विभाग की कालोनी के मध्य से शारदानगर स्केप के एलाइन्मेन्ट में ड्रेन के निर्माण जिसमें लगभग 4 किमी0 में 8 मी0 का लेविल डिफरेन्स था, का अध्ययन कराया गया था। आई0आई0टी0 के प्रोफेसर को स्थल निरीक्षण कराया गया तथा परियोजना तैयार कराई गई थी। शारदा नहर पर

एक्वाडक्ट की डिजाईन का प्रस्ताव भी सिंचाइ विभाग को भेजा गया था एवं तैयार कराया गया था। किन परिस्थतियों में इस योजना को स्थगित किया गया था, जानकारी नहीं हो पाई है।

मस्तेमऊ में प्रस्तावित 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं अन्य कार्य हेतु डिस्ट्रिक जोन-4 के लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा 971.06 करोड़ की परियोजना है इस क्षेत्र में आवास विकास परिषद की वृन्दावन योजना तथा हाईटेक टाउनशिप का क्षेत्र प्रस्तावित है। अत: वित्तपोषण हेतु संबंधित निर्माण/विकास करने वाली संस्थाओं से विचार कर 30 प्रतिशत वित्त पोषण पर भी निर्णय लिये जाने की कार्यवाही आपेक्षित है।

दौलत गंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के संशोधित उत्प्रवाह का उपयोग सिंचाई कार्यो में करने पर चर्चा की गयी। लखनऊ महानगर में हजरतगंज से सीतापुर रोड छोटा इमामबाड़ा तक दोनों तरफ बहुत बड़े भू-भाग पर सरोजनी नायडू पार्क, लक्ष्मण पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, शहीद पार्क, सूरज कुण्ड पार्क, महावीर पार्क, बुद्धा पार्क, नीबू पार्क, गुलाब वाटिका, घण्टाघर पार्क आदि ऐसे पार्क हैं जिनकी सिंचाई व्यवस्था भूमिगत जल से की जा रही है और भूतल जल स्रोतों में दिन प्रतिदिन हो रही कमी के दृष्टिगत यह उचित नहीं है। भूमिगत जल का पेयजल में उपयोग किया जाना ही उचित है। भूमिगत जल का संरक्षण प्रथम वरीयता पर विचारणीय है। अत: ऐसी परियोजना तैयार करने का निर्देश विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता, जोन-8 को दिये गये कि जल संस्थान व जल निगम के क्षेत्रीय अभियन्ताओं के सहयोग से ट्रीटेड सीवरेज का उपयोग कर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गयी। यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि यह परीक्षण करा लें की दौलतगंज सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शुद्धीकृत जल का उपयोग औद्यानिक कार्यो में करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

महाप्रबन्धक (गोमती), जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्वारी कल्वर्ट पर निर्माणाधीन एम.पी.एस. जो कि गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, में गोमती नगर क्षेत्र के सीवेज के कलैक्शन की व्यवस्था भी की जानी सम्भव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था हेतु पूर्व में प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 984.52 लाख बनाया गया था, परन्तु अब जल निगम द्वारा इस हेतु रू0 299.49 लाख का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया जिसमें इस कार्य में लगभग रू0 685.03 लाख प्राधिकरण को बचत होगी। इस धनराशि की मांग जल निगम द्वारा पत्र सं0 1190/W-27/22 दिनांक 02.05.2006 के माध्यम से की गयी है, जिसको कि तुरन्त से जल निगम को दिया जाना आपेक्षित ताकि यह कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो सके।

गोमती नगर विस्तार फेज-1,2,3 के लिये सीवरेज व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी, महाप्रबन्धक, जल निगम से अनुरोध किया गया कि प्राधिकरण की इस योजना के लिये पम्पिंग स्टेशन एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक राईजिंग मेन की योजना तैयार कराई जाये ताकि प्राथमिकता पर कार्य कराया जा सके। महाप्रबन्धक द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना फेज-1,2,3 की तकनीकी सूचनाऐं उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, इस हेतु अधिशासी अभियन्ता जोन-1 से अपेक्षा की गयी की समस्त सूचनाऐं कन्सल्टेन्ट से विचार विमर्श कर जल निगम को उपलब्ध करा दें।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया, कि कानपुर रोड एवं मोहान रोड के मध्य लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के

लिए सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु महायोजना में भूमि आरक्षित है। अतएव इस क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था हेतु सीवरेज महायोजना में तदनुसार प्रस्ताव सम्मिलित किए जाएं।

## ड्रेनेज:-

नगरीय क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था एवं विकसित होने वाले क्षेत्रों की ड्रेनेज व्यवस्था एवं गोमती में गिरने वाले गन्दे नालों को टेप कर शुद्धीकृत करने पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्धक, गोमती एक्शन प्लान श्री बिश्नोई द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप कर ककरहा में शुद्धीकृत करने की परियोजना स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है। वर्तमान योजना में हैदर कैनाल को भी टेप करने की परियोजना स्वीकृत है किन्तु बाद में मस्तेमऊ में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण उपरान्त डायवर्जन कर दिया जायेगा।

गोमती नदी में गिरने वाले नालों पर, जिनका कैचमेंट एरिया एच.एफ.एल. से नीचा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, वर्तमान में आवासीय/व्यवसायिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु विकसित किए गये हैं या किये जा रहे हैं, यथा शक्तिनगर, संजय गांधी पुरम, महानगर, गोमती नगर फेज-1 का भाग एवं गोमती नगर विस्तार आदि, के बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण की स्थिति एवं संचालन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया, कि गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप करने एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण प्रक्रिया में है अथवा हो चुके हैं।

*स्थापित बाढ पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता, व्यवस्था एवं संचालन की स्थिति संलग्नानुसार है।*

गोमती नगर विस्तार योजना के लिए बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि विश्वास खण्ड एवं डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क के मध्य से गुजरने वाले कुकरैल नाले को टेप करने की व्यवस्था है अथवा नहीं, अवगत कराया गया कि सम्भवतः छूट गया है। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा सुझाव दिया गया कि इसे भी टेप कर लिया जाय।

गोमती नगर फेज-1 एवं फेज-2 में कतिपय स्थलों पर जलभराव के समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। उनके कारणों एव निदान का अध्ययन पुनः करा लिया जाये और समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

गोमती नगर की ड्रेनेज व्यवस्था ग्वारी कल्वर्ट से है। महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि इस नाले को ग्वारी कल्वर्ट पर निर्मित होने वाले मेन पम्पिंग स्टेशन में टेप कर दिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा गोमती नगर योजना में प्रस्तावित ड्रेनेज व्यवस्था को टेप करने फ्लड पम्पिंग स्टेशन बनाने एवं बैरल के निर्माण के सन्दर्भ में तत्काल कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी। अधिशासी

अभियन्ता, जोन-1 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम व सिंचाई विभाग से सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभाग के साथ सम्पर्क कर शीघ्रता कराने का निर्देश दिया गया है।

कानपुर रोड योजना की ड्रेनेज व्यवस्था के निस्तारण में अवरोधों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। अधि0 अभि0 जोन-13 द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा किला मोहम्मदी ड्रेन को सुदृढ़ करने की परियोजना अन्तिम चरण में है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद सम्भवतः ड्रेनेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

जानकीपुरम् विस्तार एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये मुख्य नाले के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। अधि0अभि0 से निर्मित होने वाले नाले अथवा वर्तमान में स्थित नाले को सीधे गोमती नदी में गिराये जाने की स्थिति की जानकारी चाही गई। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उ0प्र0 जल निगम व क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि गोमती एक्शन प्लान द्वितीय में स्वीकृत अन्ततः डिस्पोजल की स्थिति से अवगत कराया जाय। सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य आई.आई.एम. तक प्रस्तावित प्राधिकरण की नयी योजना के सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्ध, उ0प्र0 जल निगम, गोमती एक्शन प्लान द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ महायोजना 2021 की ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये सम्मिलित प्रस्ताव में ड्रेनेज व सीवरेज व्यवस्था को ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में निस्तारित, शुद्धीकृत करने का प्रस्ताव महायोजना में है। तदानुसार इन प्रस्तावित सेवाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था व कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी।

बसंत कुंज योजना व कैम्पबेल रोड की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी रूप में लाने हेतु सम्पवैल एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित है। योजना के विरचन का कार्य प्राधिकरण व जल निगम, जल संस्थान द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कराया जा रहा है। जिसे अगले पंद्रह दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का आश्वासन महाप्रबंधक जल निगम द्वारा दिया गया है।

कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के स्थल भूमि के चयन हेतु दिनांक 06.07.06 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जल संस्थान, जल निगम एवं ल0वि0प्रा0 के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया, महायोजना में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये प्रस्तावित स्थल को उपयुक्त पाया गया। भू-अर्जन की तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

महानगर योजना के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दशकों से ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है, इसे जल संस्थान को हस्तांतरित करने पर चर्चा की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जोन-10 को काफी समय पूर्व कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। अधि0 अभि0-10 से अपेक्षा की गयी कि संयुक्त निरीक्षण करते हुये पम्पिंग स्टेशन को मानक के अनुसार विकसित कर तत्काल हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाय।

अलीगंज, जानकीपुरम एवं संबंधित क्षेत्र के लिये अलीगंज योजना में संयुक्त रूप से पम्पिंग स्टेशन वर्ष 1998-99 से पूर्व निर्मित किया गया तभी से इसका संचालन

ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है। जब परियोजना पूर्ण हुयी थी तो जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए थी; ऐसा न करने पर मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा खेद व्यक्त किया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियन्ता को 2 माह पूर्व पम्पिंग व्यवस्था को जल संस्थान को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अधि0 अभि0, जोन-15 तथा अधि0 अभि0, जोन-10 बैठक में उपस्थित नहीं थे, उनसे अपेक्षा की गयी कि पम्पिंग स्टेशन का संचालन मानक अनुसार करते हुये जल संस्थान को हस्तांतरित करायें।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान द्वारा नगर की पेयजल व्यवस्था में आये दिन आने वाली समस्याओं पर चिन्ता व्यक्त की गयी और अवगत कराया गया कि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत जनसंख्या को ही भूतल-पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद की योजनाओं में भूगर्भ-जल स्रोत ही एक मात्र पेयजल का स्रोत है, जिसके कारण भूजल स्तर तीव्रता से नीचे गिरता जा रहा है, अधिकांश ट्यूबवेलों की क्षमता कम होती जा रही है और नगर की बढ़ती जनसंख्या को वांछित पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार ट्यूबवेल हैं और कहीं पर आवश्यकतानुसार नहीं हैं, यह विषमता भी जनता के आक्रोष का कारण है।

गत बैठक में इस समस्या पर चर्चा की गयी थी। स्रोत की उपलब्धता, जलकल संस्थान (वाटर वर्क्स) की व्यवस्थाओं और उनसे पेयजल क्षेत्रों का निर्धारण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किये जाने की अपेक्षा की गई थी। मुख्य रूप से भूतल पेयजल श्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है। जलकल तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम के लिये भूतल जल श्रोत पर विचार-विमर्श हेतु सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, आवास विकास परिषद व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की बैठक कर विस्तृत चर्चा करते हुये प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया गया।

महाप्रबंन्धक, जल संस्थान से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र बैठक की सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं वर्तमान में जल की उपलब्धता एवं जल आवश्यकता पर सम्पूर्ण विवरण तैयार कर लिया जाए, ताकि बैठक में पेयजल की आवश्यकता, भूतल जल स्रोत की उपलब्धता, जलकल के निर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

उपस्थित सदस्यों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुयी।

| | | |
|---|---|---|
| (आर.के. त्रिपाठी) | (बी.यू. बिश्नोई) 10/7/2006 | (डी.आर. यादव) 10/7/06 |
| महाप्रबन्धक, | महाप्रबन्धक, | मुख्य अभियन्ता, |
| जल संस्थान | गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम | लखनऊ विकास प्राधिकरण |

**विषय संख्याः 03** **पृष्ठ संख्याः 22**

विषयः बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।

प्रस्तावः

महायोजना–2001 में बादशाह नगर स्टेशन के सामने वाली पटरी एवं स्टेशन के प्रवेश मार्ग से लगी हुई पटरी का भू–उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित किया गया था जिसे महायोजना–2021 में आवासीय में प्रस्तावित कर दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में शासन के पत्र संख्याः 4301/आठ–3–2005–31एल.यू.सी./2005 दिनांकः 21.12.2005 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ले–आउट प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 2438/9–आ–3–98–60एल.यू.सी./96 दिनांकः 13.10.98 के प्राविधानों के अनुसार निर्णय लिये जाने तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत दिनांकः 06.10.2005, जोकि तलपट मानचित्र में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में है, के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाये।

शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांकः 06 जनवरी, 2006 में विषय सं0–28 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त बैठक में सम्यक "विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गयी जिसमें अन्य सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे। यह समिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।" उक्त निर्णय के अनुपालन में समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि लखनऊ महायोजना–2001 तथा 2021 के अनुसार भूखण्ड सं0–4 आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत स्थित है, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के स्वीकृत ले–आउट के अनुसार भी भूखण्ड सं0–4 का भू–उपयोग आवासीय निर्धारित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के कम में शासनादेश सं0ः सीएस–89(1) दि0ः 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने संबंधी आदेश भी निर्गत किये गये हैं। समिति की उपरोक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

28/8/2006

मुख्य नगर नियोजक

# नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7 – बन्दरियाबाग, लखनऊ

पत्रांक: 1019 / वनि(3) / लखनऊ वि.प्रा.–बैठक / 2006–07 दिनांक: मई, 2006

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

**विषयः बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 571 / सीटीपी / 2006 दिनांक 21.04.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 6 / 13 जनवरी,, 2006 के विषय संख्या–28 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों / अभिलेखों, लखनऊ महायोजना तथा स्थानीय स्तर पर परीक्षणोंपरान्त तैयार की गई आख्या एवं संस्तुति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

29.5.06

( एन.आर. वर्मा )
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

## बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की आख्या

प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में विषय संख्या–28 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसपर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश 'सदस्य' तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के 'संयोजक' नामित हैं। उक्त समिति से स्थल निरीक्षण के उपरान्त संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा है।

2. प्राधिकरण बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं, लखनऊ महायोजना, 2021, स्थानीय परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के कम में आख्या एवं संस्तुति निम्नवत् है :–

(1) भूखण्ड सं.–4 फैजाबाद मार्ग से माउन्ट कार्मेल स्कूल को जाने वाले मार्ग पर स्थित है । इसी भूखण्ड के दक्षिण में फैजाबाद मार्ग से सटा हुआ भूखण्ड सं. 4–ए स्थित है। स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि संलग्न साइट प्लान के अनुसार भूखण्ड सं. 4–ए (कार्नर प्लाट) में व्यवसायिक काम्प्लेक्स निर्मित एवं कार्यरत है, जिसका मानचित्र लखनऊ महायोजना, 2001 के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के परमिट सं. 12371, दिनांक 20.09.2005 द्वारा स्वीकृत है। इसके पश्चात बगल के अगले भूखण्ड में महानगर गर्ल्स इण्टर कालेज स्थित है, जिसके पश्चात् एक आवासीय भवन है तथा आवासीय भवन के बाद मस्जिद है। उक्त कालेज व मस्जिद के भूखण्ड के साथ मार्ग विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ छोटी दुकाने एवं अस्थायी निर्माण (मोटर गैराज आदि) मौजूद हैं। इन भूखण्डों के पृष्ठ भाग में पूर्णतः आवासीय भवन स्थित हैं।

(2) लखनऊ महायोजना, 2001 तथा 2021 के अनुसार भूखण्ड संख्या–4 आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत स्थित है। यह भी उल्लेखनीय है कि महायोजना, 2021 के प्रारूप पर आमंत्रित आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई के उपरान्त हुए निर्णयों के कम में ही इस क्षेत्र में भू–उपयोग प्रस्तावित किये गए थे और तद्नुसार शासन द्वारा लखनऊ महायोजना, 2021 को अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के पूर्व स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या–4 का भू–उपयोग आवासीय निर्धारित है तथा वर्तमान में भी आवासीय उपयोग में प्रयुक्त हो रहा है।

(3) लीज डीड के अनुसार भूखण्ड सं.–4 का 1872 वर्ग फीट क्षेत्रफल व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत उल्लिखित है, परन्तु शेष क्षेत्र की लीज डीड उपलब्ध न होने के कारण यह पुष्टि सम्भव नहीं है कि लीज डीड के अनुसार इसका क्या उपयोग है? अतः इसके सम्बन्ध में भी प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर ली जाये। यदि उक्त भूखण्ड नजूल भूमि पर है, तो नियमानुसार पट्टागत नजूल भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन विचारणीय नहीं है।

::2::

(4) विदित है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के कम में शासनादेश सं. सी. एस.–89(1) / 9– आ –3–2003–62रिट / 2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू उपयोग में चल रही व्यवसायिक / औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए विचारं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणी / आख्या प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

29/5/2006

(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

## विषय संख्या: 04 पृष्ठ संख्या: 26

विषय: ग्राम–हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

महायोजना–2021 में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु लगभग 650 हेक्टेअर भूमि ग्राम–हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में प्रस्तावित की गयी है गोमती नगर विस्तार योजना से लगी हुई यह भूमि कतिपय सीवेज फार्म एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि –

1. सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये जो भूमि महायोजना में प्रस्तावित की गयी है वह गोमती नगर विस्तार योजना एवं उसके समीप निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं से लगी हुई है, अतः पर्यावरण के दृष्टिकोण से उक्त स्थल सीवेज फार्म के लिये उपयुक्त नहीं होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर कई ग्रामीण आबादी हैं तथा उनके आस–पास भी काफी विकास हो चुका है। अतः सीवेज फार्म का निर्माण उक्त क्षेत्र में सम्भव नहीं है।
3. जल निगम द्वारा सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जायका कन्सल्टेन्ट से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है, उस प्रोजेक्ट में उपरोक्त प्रयोजन हेतु जो भूमि चयनित की गयी है वह प्रश्नगत क्षेत्र से बाहर है एवं गोमती नगर विस्तार योजना के प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

महायोजना–2021 में प्रस्तावित उपरोक्त वर्णित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत परिवर्तित करने एवं उपरोक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

29/8/2006

मुख्य नगर नियोजक

**विषय : गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवंटन।**

गोमती नगर. योजना के विपिन खण्ड में 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। पार्क के मध्य में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थित है। इस उपकेन्द्र की स्थापना के लिए वर्ष 1990 में 39300 वर्ग मी0 भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को आवंटित की गयी थी। सम्प्रति लोहिया पार्क के विकास के फलस्वरूप उक्त विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है। विद्युत उपकेन्द्र के स्थानान्तरण के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इसे उच्चीकृत किए जाने पर विचार उपयुक्त होगा।

गोमती पार के क्षेत्रों के विकास एवं इस ओर गोमती नगर योजना, इन्दिरा नगर योजना व अन्य आवासीय क्षेत्रों के विकास एवं अध्यासन के फलस्वरूप विद्युत मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 उपकेन्द्र को मांग के अनुरूप उच्चीकृत करते हुए अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाए जाने का प्रस्ताव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को प्रेषित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान उपकेन्द्र में पदस्थ स्टाफ के लिए नेहरू इन्क्लेव में प्रेमायन-1 प्रकार के 6 फ्लैट आरक्षित किए गए हैं तथा 220 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना के लिए गोमती नगर विस्तार योजना में 10 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की शिफ्टिंग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस विषय प्रर अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.06 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूमि की देयता के संबंध में शासन का जो भी निर्णय होगा वह सभी पक्षों को मान्य होगा साथ ही पावर कारपोरेशन को आवंटित किए गए 6 फ्लैट्स के मूल्य, तोड़े गए भवनों एवं अर्द्धनिर्मित कार्यालय के मुआवजे के संबंध में भी यह निर्णय हुआ कि शासन द्वारा लिया गया निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। इस बिन्दु पर निर्णय होने की प्रतीक्षा किए बिना उपकेन्द्र को उच्चीकृत करने व स्थानान्तरित करने का कार्य पावर कारपोरेशन द्वारा प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा नेहरू इन्क्लेव योजना में आरक्षित किए गए भवनों का मूल्य पृथक से सूचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था जबकि गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए आवासीय दर के 50 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटित की गयी है तथा तत्काल कार्य प्रारम्भ करने के दृष्टिकोण से प्राधिकरण द्वारा पावर कारपोरेशन को भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

**अतः डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में देयता का निर्धारण किए जाने हेतु शासन के निर्णय के लिए प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।**

E:\Board Baithk\July,06\Vidhut Upkeander.doc

383/PC
22-3-06

1460/AE8/06
27-03-2006

**अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अध्यक्षता में दिनांक 18-3-2006 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

1- श्री ए0के0 खुराना, अध्यक्ष
2- श्री बी0बी0 सिंह, प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0
3- श्री कृष्ण कान्त, मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण)
4- श्री डी0वी0एस0 रावत, महाप्रबन्धक (जानपद पारेषण)
5- श्री अशोक कुमार, उप महाप्रबन्धक विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम,लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

1- श्री बी0बी0 सिंह उपाध्यक्ष
2- श्री रोहित खन्ना अधिशासी अभियन्ता

1- प्रस्तावित 220/33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु एल्डिको ग्रीन के पीछे स्थित ग्रीन बैल्ट में से 10 एकड़ भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि चिन्हित भूमि का कब्जा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि0 को दिनांक 25-3-2006 को दिला दिया जायेगा । जहॉ तक भूमि की देयता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह सहमति बनी कि इस विषय में शासन का जो भी निर्णय होगा, वह सभी पक्षों को मान्य होगा ।

2- 132 के0वी0 उपकेन्द्र गोमतीनगर पर स्थित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के 6 आवासों एवं मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण) के कार्यालय के अर्धनिर्मित भवन को तोड़ दिया गया था, के एवज में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू इन्क्लेव स्थित प्रेमायन -1 में 6 फ्लेट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को आवंटित कर दिये गये हैं । इन भवनों के मूल्य एवं तोड़े गये भवनों एवं अर्धनिर्मित कार्यालय के मुआवजे के सम्बन्ध में शासन का जो भी निर्णय होगा, वह भी सभी पक्षों को मान्य होगा ।

3- किसी भी विवाद की स्थिति में निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं विवाद के सम्बन्ध में जो भी शासन का निर्णय होगा वह सभी पक्षों को मान्य होगा ।

(कृष्ण कान्त)
मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण)

संख्या 643 मु0म0प्र0 (पा0) /

दिनांक : मार्च 21, 2006

प्रतिलिपि :

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
3- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉलच विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ ।
5- महाप्रबन्धक (जानपद पारेषण) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0ए लखनऊ ।
6- महाप्रबन्धक (पारे0मध्य) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ
7- उप महाप्रबन्धक, विद्युत, पारेषण मण्डल, लखनऊ ।
8- श्री रोहित खन्ना, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ ।

# कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

| प्रेषकः— | सेवा में, |
|---|---|
| उपाध्यक्ष,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण<br>नवीन भवन, विपिन खण्ड,<br>गोमती नगर, लखनऊ<br>संख्या 138/ …सेल/06<br>दिनांकः 24-5-06 | श्री अशोक कुमार खुराना,<br>अध्यक्ष,<br>उ0प्र0पावर कारपोरेशन,<br>शक्ति भवन,<br>लखनऊ।<br>नत्थी |

विषय

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–6 में 220 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

कृपया गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उच्चस्तर पर हुये विचार विमर्श का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु चिन्हित भूमि का सर्वेक्षण एवं प्राथमिक निरीक्षण प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, मुख्य महाप्रबन्धक, परिषण, महाप्रबन्धक, लेसा व अधिशासी अभियंता, परिषण द्वारा दिनांक 23.4.2006 को किया जा चुका है। उक्त के कम में उपकेन्द्र की स्थापना हेतु 10 एकड भूमि आवंटित की जाती है, जिसका प्लान संलग्न है। 10एकड भूमि का मूल्य रू0 2000.00 प्रतिवर्गमीटर (आवासीय दर रू0 4000.00 का 50प्रतिशत) की दर से रू0 8,09,37,200.00 होता है, इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क रू0 97,12,464.00 एवं वाटर सीवर तथा अन्य व्यय रू0 3500.00 कुल धनराशि रू0 9,06,53,164.00 दिनांक 31.5.2006 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शेष नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1— भू–आच्छादन एफ0ए0आर0 एवं भू–प्रयोग महायोजना/शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

2— भूमि जहॉ है जैसी है के आधार पर दी जायेगी।

3— उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भूमि की वास्तुविक नाप कराई जायेगी और यदि कोई अन्तर की धनराशि देय होगी तो वह निबन्धन से पूर्व ली जायेगी तथा भूमि के निबन्धन हेतु निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण के संबंध में जो व्यय होगा वह विभाग द्वारा वहन करना होगा।

5— उपरोक्त तिथि तक धनराशि प्राप्त न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

6— यदि भविष्य में प्रतिकर की धनराशि में कोई बढोत्तरी मा0 न्यायालय द्वारा की जाती है तो बढे हुये प्रतिकर का भुगतान विभाग द्वारा करना होगा।

7– उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा जो शर्ते निर्धारित की गयी हैं/की जायेंगी वह मान्य होंगी।

8– बैंक ड्राफ्ट सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।

9– उपरोक्त गणना अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर की गयी है लीज प्लान प्राप्त होने के पश्चात अन्तिम गणना करायी जायेगी, जो मान्य होगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

24/5

( बी0बी0 सिंह )
उपाध्यक्ष।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,

( बी0बी0 सिंह )
उपाध्यक्ष।

विषय : गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मंजिले ब्लाक्स का निर्माण कार्य।

गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पर 8 मंजिले भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 में तैयार किया गया था। प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए ले-आउट प्लान में कुल 10 ब्लाक्स के निर्माण का प्रस्ताव किया गयां। अवध आपार्टमेन्ट हेतु आर्कीटेक्ट के चयन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष बैठक दिनांक 6.12.96 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्लान के आधार पर अवध अपार्टमेन्ट योजना का पंजीकरण वर्ष 1994 में खोला गया था। इसके अंतर्गत केनरा बैंक व यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा बल्क पंजीकरण कराया गया तथा प्राप्त पंजीकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक श्रेणी के भवनों के एक-एक ब्लाक (कुल तीन ब्लाक) का निर्माण किया जाए।

विपुल खण्ड में ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का अंश भाग रिर्जव बैंक आफ इण्डिया को बल्क में विक्रीत किए जाने के फलस्वरूप अवध अपार्टमेन्ट योजना में बहुमंजिले भवनों के निर्माण के लिए कुल 13642 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हैं। इस परिसर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी तत्समय ही किया जा चुका है। वर्ष 1996 में उपलब्ध पंजीकरणों की संख्या के आधार पर केवल 3 ब्लाक्स के निर्माण विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवनों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव एवं आर्कीटेक्ट के चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 1996 में कहकशां, आफताव एवं फिरदौस नाम के तीन ब्लाक का निर्माण किया गया जिसमें क्रमशः तीन बेडरूम, दो बेडरूम व एक बेडरूम के फ्लैट्स निर्मित हैं। निर्मित किए गए भवनों का निबंधन कर अधिकांश भवनों का कब्जा आवंटियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। कहकशां ब्लाक के 23 भवनों का कब्जा हस्तान्तरित किया जाना शेष है।

केनरा बैंक व यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा बल्क में क्रय किए गए भवनों के निबन्धन विलेख में यह अंकित किया गया था कि भवनों का निबंधन अविभाजित भूमि के समानुपातिक भाग के साथ किया जा रहा है। निबंधन विलेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि समानुपातिक अंश का क्या तात्पर्य है। अतः इस संबंध में केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया व कुछ आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर नए ब्लाक का निर्माण रोके जाने का अनुरोध किया गया है। वाद की सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश परित नहीं किए गए हैं। मा0 न्यायालय के समक्ष भी यह स्पष्ट किया गया है कि अविभाजित भूमि के समानुपातिक अंश का तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्रफल से है जोकि अनुमन्य एफ.ए.आर. हेतु आवश्यक होगा। भविष्य में पुनः यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यक है कि निष्पादित निबंधन विलेख में उक्त

संशोधन कर दिया जाए तथा भविष्य में किए जाने वाले निबंधनों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि समानुपातिक भूमि का तात्पर्य एफ.ए.आर. के अनुपात में भूमि से है।

सम्प्रति परियोजना में दो नए ब्लाक के निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अनुमन्य एफ़.ए.आर. तथा भू-आच्छादन के आधार पर कुल 12 मंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना में पूर्व निर्मित तीन ब्लाक तथा वर्तमान में प्रस्तावित दो नये ब्लाक का सम्मिलित प्लान संलग्नक-1 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

| भवन का प्रकार | प्राविधान | प्रस्तावित संख्या | अनुमानित विक्रय मूल्य |
|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 | 3 बेडरूम | 60 | रू0 27,80,000.00 |
| श्रेणी 2 | 2 बेडरूम | 12 | रू0 22,02,000.00 |

अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर भवनों का पंजीकरण खोला गया जिसके क्रम में श्रेणी 1 प्रकार के भवनों के लिए कुल 12 आवेदन तथा श्रेणी 2 प्रकार के भवनों के लिए कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयकर विभाग एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बल्क आवंटन के अंतर्गत श्रेणी 1 प्रकार के तीन बेडरूम वाले भवनों के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। दो बेडरूम के फ्लैट के लिए पर्याप्त मांग नहीं है, अतः तीन बेडरूम के फ्लैट हेतु उपलब्ध मांग के आधार पर योजना में तीन बेडरूम वाले फ्लैट्स के एक ब्लाक के निर्माण का प्रस्ताव है तथा भविष्य में और मांग होने पर दूसरे ब्लाक का निर्माण कराया जाएगा।

बहुखण्डीय भवनों के नियोजन व सर्विसेज डिजाइनिंग का कार्य विशेष प्रकृति का कार्य है जिसके लिए अनुभवी आर्कीटेक्ट्स का पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। अतः विशेष प्रकृति की इस परियोजना के नियोजन के लिए निजी वास्तुविद् को अनुबंधित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत परियोजना के नियोजन, डिज़ाइनिग व स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आदि कार्य के लिए निजी वास्तुविद् मे0 आर्कीटेक्ट एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को 2 प्रतिशत की दर से फीस के आधार पर अनुबंधित किया गया है।

**अतः गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट में दो नए ब्लाक के निर्माण एवं इनकी डिज़ाइनिंग के कार्य हेतु आर्कीटेक्ट मे0 आर्कीटेक्ट एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को अनुबंधित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

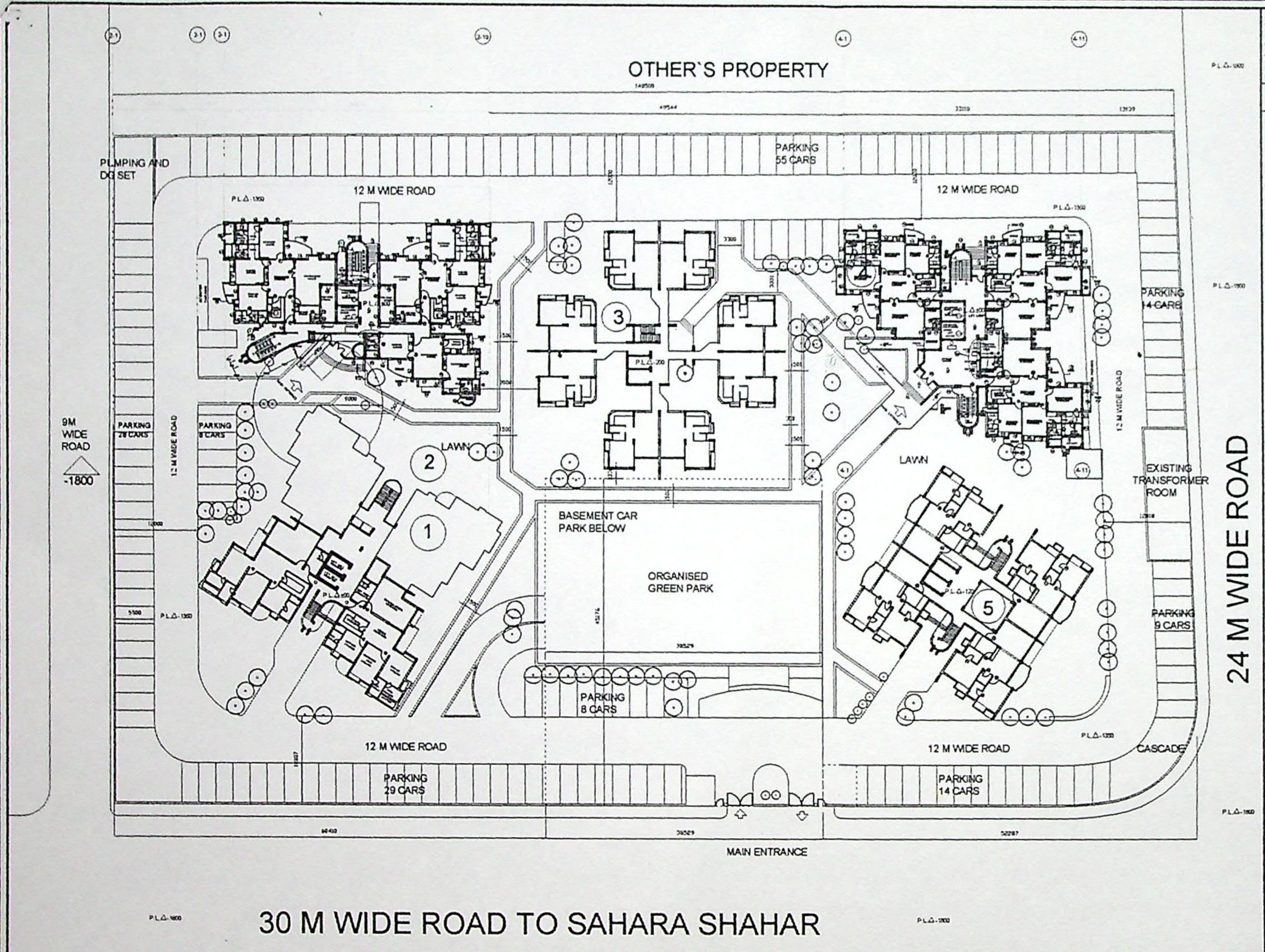


THIS IS AN ORIGINAL, UNPUBLISHED WORK AND PROPERTY OF M/S ARCHITECTS AND ASSOCIATES NEW DELHI. THIS MAY NOT BE PUBLISHED, MISUSED, TEMPERED AND DUPLICATED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECTS.

NOTES:-

1. SITE PLAN AS PER DIMENSIONS PROVIDED BY LDA
2. LOCATION OF EXISTING BUILDING NO 1,3&5 ARE AS PER DETAILS PROVIDED BY LDA .THE DIMENSIONS & AVAILABILITY TO BE CHECKED BEFORE FINILISING THE LAYOUT OF BLOCKS 2,4,6.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUTIONS | 2-1-06 | MAIL TO ANAND HAVELIA | NO | DATE | 
| | | | | REVISIONS |

AVADH APARTMENT

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
GOMTI NAGAR,LUCKNOW.

ARCHITECTS REKHA RAJIV
ARCHITECTS AND ASSOCIATES
A-262,NEW FRIENDS COLONY,NEW DELHI-65
PH: 011-26846113,51629572 TELEFAX:011-26823763
e mail: rekharajiv@rediffmail.com

N

DEALT-NAGI

| | | |
|---|---|---|
| DRG NO | C-5 | 496 -B |
| DATE : 01-01-06 | SCALE : 1:600 | |
| WORKING DRAWING | | |
| SITE PLAN | | |

विषयः एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के संबंध में।

प्रस्तावः

पूर्व में महानगर लखनऊ में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं स्वीकृत योजनाओं में आवासीय भूखण्डों पर एकल आवासीय भवन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान था तथा प्राधिकरण की योजनाओं में इस हेतु लीज डीड अथवा फी–होल्ड डीड में यह अंकित भी किया जाता रहा है। एकल आवासीय भवन का तात्पर्य छोटे भूखण्डों पर न्यूनतम एक कमरा, किचेन, ट्वालेट तथा बड़े भूखण्डों पर न्यूनतम दो कमरे, किचेन, ट्वालेट के निर्माण से है जैसा कि फ्री–होल्ड के शासनादेश संख्याः 1639 / 9–आ–1–65–80मिस / 86 दिनांकः 10.05.1995 तथा शासनादेश संख्याः 1778 / 9–अ–95–213डी.ए. / 94 दिनांकः 24.05.1995 से स्पष्ट है।

भवन उपविधि–2000 के अन्तर्गत 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय यूनिट, प्रभार रहित व प्रभार सहित दिये जाने का प्राविधान किया गया। तथा 1000 वर्गमीटर से ऊपर ग्रुप हाउसिंग का प्राविधान था किन्तु ग्रुप हाउसिंग प्राविधान संशोधित होने के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो गया (शासनादेश संख्याः 3001 / 9–आ–3–2001 / 19विविध / 2001(आ.ब.) दि० 29.8.2002), ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड एकल आवासीय भवन की श्रेणी में आ जाने के कारण भूमि के आप्टीमम् उपयोग के दृष्टिगत 500 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों हेतु प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के प्राविधान शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 553 दिनांकः 25.01.03 द्वारा जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रदेश में आवासीय इकाईयॉ दी जाने लगीं। आवासीय इकाईयों के दिये जाने के विरोध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर गाजियाबाद के निवासी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर वाद संख्याः 2342 / 2004 आई.सी.अग्रवाल बनाम डी.पी.सिंह उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य में निर्णय के फलस्वरूप पुनः शासनादेश फरवरी, 2005 जारी किया गया जिसमें उपविधि में अंकित एकल आवास को प्लाटेड विकास से प्रतिस्थापित किया गया तथा प्रभार सहित व प्रभार रहित इकाईयॉ दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण हेतु भी आदेशित किया गया। प्राधिकरण की बहुत पुरानी योजनाऍ जैसे– महानगर, निराला नगर, न्यू हैदराबाद आदि में बहुत बड़े–बड़े भूखण्ड हैं जिनका आकार 500 वर्गमी० से 2000 वर्गमी० के अन्दर है, पर वर्तमान में भू–स्वामियों द्वारा बढ़ती आवश्यकता एवं बेहतर रिहायश के दृष्टिगत यूनिट हेतु आवेदन दिये गये हैं।

अतः प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत पुरानी योजनाओं में प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयॉ दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण शासनादेश संख्याः 885 / आठ–1–05–29विविध / 98(आ.ब.) दिनांकः 09.02.2005 के कम मे प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं जैसे–महानगर, निरालानगर, न्यू हैदराबाद आदि में अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

17/8/2006
(सी० बी० शमा।)
मुख्य नगर नियोजक

## लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु पुस्तिका

शासनादेश सं० १६३६/६–अ–१–६५–८० मिस/८६ दि० १०–५–६५ तथा शासनादेश सं० १७७८/६–अ–६५२१३ डी.ए./६४ दि० २४–५–६५ द्वारा शासन ने विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु निर्णय लिया है। अतः संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :–

१. उपरोक्त शासनादेश इस पुस्तिका में अंकित है।

२. उपरोक्त पुस्तिका में दिये हुए आवेदन पत्र पर आवंटी लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु अपना आवेदन देगा।

३. आवेदन पत्र के साथ आवंटी को एक शपथ पत्र, जिसका प्रारूप इस पुस्तिका में दिया हुआ है, संलग्न करना होगा। यह शपथ पत्र रू० १०/– के जनरल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

४. यदि पूर्व में वर्षवार लीज रेन्ट जमा किया गया है तो दि० ३१–३–६६ तक का अवशेष लीज रेण्ट एवं भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १२ प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो सचिव, ल० वि० प्रा० के पक्ष में हो, आवेदन पत्र के साथ जमा किया जायेगा। यदि लीज डीड के निष्पादन से पूर्व भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत जमा किया जा चुका है तो रजिस्ट्रेशन मूल्य का २ प्रतिशत और जमा करना होगा।

५. जिन आवंटियों द्वारा लीज डीड के निष्पादन से पूर्व भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत लीज रेण्ट के रूप में पहले ही जमा कर दिया गया था और उन्होंने २ प्रतिशत और जमा कर दिया है तो ऐसे आवंटी को रजिस्ट्रेशन मूल्य के उपरोक्तानुसार दो प्रतिशत पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार से ट्रेजरी से स्टाम्प पेपर क्रय करना होगा तथा पुस्तिका में दिये हुए विक्रय विलेख को स्टाम्प पेपर पर टंकित करा ले ऐसे प्रत्येक आवंटी को तीन प्रतियां टंकित करानी होगी– एक स्टाम्प पेपर पर तथा दो प्रतियां वाटर मार्क पर। यह तीनों प्रतियां आवंटी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

६. जिन आवंटियों ने उपरोक्त क्रम सं०–५ के अनुसार भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत लीज रेण्ट जमा नहीं किया था और अब रजिस्ट्रेशन मूल्य का १२ प्रतिशत जमा किया है तो ऐसे आवंटी को रजिस्ट्रेशन मूल्य के उपरोक्तानुसार १२ प्रतिशत पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार ट्रेजरी से स्टाम्प पेपर क्रय करना होगा तथा पुस्तिका में दिये हुए विक्रय विलेख को स्टाम्प पेपर पर टंकित कराना होगा। ऐसे प्रत्येक आवंटी को तीन प्रतियां टंकित कराना होगा – एक प्रति स्टाम्प पेपर पर तथा दो प्रतियां वाटर मार्क पर। यह तीनों प्रतियां आवंटी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

७. आवंटी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र भरकर तथा उसके साथ संलग्नक लगाकर यूको

बैंक की हजरतगंज शाखा, विस्तार पटल शाखा, ल०वि०प्रा० कार्यालय में प्रत्येक कार्यादिवस में प्रातः १०.३० बजे से अपरान्ह २.३० बजे तक जमा करेगा। इस पुस्तिका में जो चालान दिया हुआ है उस चालान को भी आवंटी को भरना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

८. उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में आवंटी को यदि कोई कठिनाई महसूस हो तो वह ल०वि०प्रा० के जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

९. आवंटी द्वारा जो आवेदन पत्र फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया जोयगा उसके अनुसार आवश्यक जांच संपत्ति विभाग में की जायेगी और यदि आवेदन पत्र में कोई कमी पायी जाती है तो इस संबंध में पत्र संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा आवंटी को भेजा जोयगा। निर्धारित अर्हतायें पूरी होने के पश्चात ही लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया जायेगा।

१०. यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी जाती है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरा अधिकार होगा कि वह लीज होल्ड भूमि से फ्रीहोल्ड में जो परिवर्तन किया गया है, उसे निरस्त कर दें। आवंटी द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि को जब्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कार्यवाही जो उपाध्यक्ष ठीक समझे, कर सकते हैं।

११. "निष्पादित लीज डीड के प्राविधानों के अनुसार जिन आवंटियों ने आवंटित भूखण्ड पर निर्धारित अवधि में निर्माण न कराया हो तो ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात शासनादेश के अनुसार अनिर्माण शुल्क (लेवी) देयी होगी। वर्ष के भाग को पूरा वर्ष लेवी के लिये माना जायेगा। शासकीय विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लेवी देय नहीं होगी।"

**टिप्पणी :** (१) २०० व. मी. तक के भूखण्ड पर एक कमरा, एक टायलेट एवं एक किचेन बन जाने पर निर्मित माना जायेगा।

(२) २०० व. मी. से ऊपर के भूखण्ड पर दो कमरे, एक टायलेट एवं एक किचेन के निर्माण को निर्मित माना जायेगा।

१२. उपरोक्त परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में उपाध्यक्ष, ल० वि० प्रा० का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

सचिव
**लखनऊ विकास प्राधिकरण**
लखनऊ

संख्या : 885 / आठ–1–05–29विविध / 98(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2005.

विषय :– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 एवं सुसंगत शासनादेशों में 'एकल आवासीय भवन' की परिभाषा में स्पष्टीकरण / संशोधन तथा उन्हें लागू करने हेतु उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 में निहित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका संख्या : 2342 / 2004 आई.सी. अग्रवाल बनाम डी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में दिनांक 16.09.04 को पारित आदेशानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में 'एकल आवासीय भवन' की दी गई परिभाषा के दृष्टिगत उक्त उपविधि के प्रस्तर : 3.5.1 एवं सुसंगत शासनादेशों में एकल आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य एक से अधिक आवासीय इकाइयों को विरोधाभासी बताया गया है। वर्णित स्थिति में उक्त परिभाषा में स्पष्टीकरण / संशोधन एवं सुसंगत शासनादेशों में समरूप शब्दावली का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो गया है।

2– इस संबंध में 'एकल आवासीय भवन' की परिभाषा में इंगित विरोधाभास के निराकरण तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 553 / 9–आ–1–29विविध / 98, दिनांक 25.01.03 के अधीन जारी संशोधनों को उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 में निहित प्राविधान के अनुसार लागू करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

2.1 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय–1 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में 'आवासीय भवन' की परिभाषा दी गई है एवं उसके अंतर्गत यह भी उल्लेख है कि 'एकल आवासीय भवन' का तात्पर्य आवासीय उपयोग हेतु एक भूखण्ड पर एक आवासीय भवन से है। जबकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय–3, भाग–5 के प्रस्तर : 3.5.1 में 'एक आवासीय भवन' के स्थान पर 'आवासीय (प्लाटेड)' का उल्लेख है।

AVAS-1//GO-6

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या : 553/9–आ–1–29विविध /98, दिनॉक 25.01.03 तथा कतिपय अन्य शासनादेशों में भी 'एकल आवास' का उल्लेख है। इस प्रकार भवन उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों में 'आवासीय ...न' हेतु अलग-अलग शब्द ...जी (यथा आवासीय प्लाटेड, एकल आवासीय भवन, एकल आवास) का प्रयोग किया गया है, जो कि विधिक रूप से समरूप होनी चाहिए।

आवासीय ले–आउट प्लान/योजना का नियोजन चूँकि दो पद्धतियों : 'प्लाटेड डेवलपमेंट' तथा 'ग्रुप हाउसिंग' पर आधारित होता है, अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में दी गई आवासीय भवन की परिभाषा में से 'एकल आवासीय भवन' से संबंधित वाक्य को समाप्त किया जाता है एवं सुसंगत शासनादेशों में "एकल आवासीय भवन/एकल आवास" को "भूखण्डीय विकास" (प्लाटेड डेवलपमेंट) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2.2 शासनादेश संख्या : 3001/9–आ–3–01–19विविध/01, दिनॉक 29.08.02 द्वारा हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी. से बढ़ाकर 2000 वर्गमी. कर दिये जाने के फलस्वरूप 1000 से 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भवन भूखण्डीय विकास की श्रेणी में आ गए हैं जिसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या : 553/9–आ–1–29विविध/98, दिनॉक 25.01. 03 के प्रस्तर : 2.3 तथ 2.4 में 500 वर्गमी. से अधिक एवं 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु सेट बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं अनुमन्य इकाइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है।

उक्त शासनादेश दिन.क्र. 25.01.03 के प्रस्तर : 2.6 में यह उल्लेख है कि "विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निहित तथा पूर्व में जारी संगत शासनादेशों के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।" इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भवन उपविधि में प्रस्तावित संशोधनों को विकास प्राधिकरणों द्वारा उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अनुसार बोर्ड में अंगीकृत करने एवं शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही लागू किए जाने का प्राविधान है। तदनुसार ही विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2.3 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 3002/9–आ–1–29विविध/98, दिनॉक 08.06.01 के अधीन कतिपय परिष्कार किए गए थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर : 28(ख) में यह अपेक्षा की गयी थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी योजनाओं जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्द्धन/सुदृढ़ीकरण सम्भव है अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है, को बोर्ड द्वारा चिन्हित करने के उपरान्त ही "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयाँ अनुमन्य किए जाने [illegible] किया जाए। अतः विकास प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड स्तर से [illegible] आवासीय भूखण्डों

(भूखण्डीय विकास) के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयाँ अनुमन्य किया जाना नियोजन एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

इस संदर्भ में शासन की अपेक्षा है कि ... विकसित/अनुमोदित योजनाओं में "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयों की अनुमन्यता से संबंधित प्राविधान का कियान्वयन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति एवं उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाय।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर : 2.1, 2.2 एवं 2.3 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 में निहित प्राविधान के अनुसार विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकरण के पश्चात् एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था द्वारा यदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 तथा उससे संबंधित समय–समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का विचलन/उल्लंघन किया गया हो अथवा भविष्य में किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5– उपर्युक्त के संबंध में पूर्व में समय–समय पर जारी समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएँ।

भवदीय,

(जे.एस. मिश्र)
सचिव

<u>संख्या : 886(1)/आठ–1–05, तद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

## भाग–5
## भू – आच्छादन एवं एफ. ए. आर.

### 3.5.1 भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक

(I) विभिन्न उपयोगों हेतु अधिकतम भू–आच्छादन तथा एफ. ए. आर. निम्नवत् होगा :–

| क्रमांक | उपयोग समूह | भू–आच्छादन (प्रतिशत) | एफ. ए. आर. | निःशुल्क इकाईयाँ (संख्या) | अतिरिक्त इकाईयाँ (संख्या) | कुल इकाईयाँ (संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आवासीय (प्लाटेड) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | | | | | |
| | • 50 तक | 75 | 2.0 | 2 | – | 2 |
| | • 51–100 तक | 75 | 2.0 | 2 | 1 | 3 |
| | • 101–300 तक | 65 | 1.75 | 3 | 2 | 5 |
| | • 301–500 तक | 55 | 1.50 | 4 | 2 | 6 |
| | • 500 से अधिक | 45 | 1.25 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | व्यवसायिक | | | | | |
| | **(क) आवासीय क्षेत्र में** | | | | | |
| | (i) सुविधाजनक दुकानें | 60 | 1.2 | | | |
| | (ii) विपणन केन्द्रँअन्य शापिंग केन्द्र | | | | | |
| | (ख) बाजार स्ट्रीट | 40 | 1.2 | | | |
| | **(ग) महायोजना में चिन्हित वाणिज्यिक क्षेत्र** | 40 | 1.2 | | | |
| | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | | | | | |
| | • 500 तक | 50 | 1.5 | | | |
| | • 500–1000 | 40 | 1.75 | | | |
| | • 1000 से अधिक | 30 | 2.0 | | | |
| 3. | कार्यालय | 40 अथवा 30 | 1.5 2.0 | | | |

अंशतः भू–तल के

लि के ऊपर आच्छादित
र्माण हो।

र्य भवन के किसी तल

का तात्पर्य किसी भूखण्ड
ल क्षेत्रफल को विभाजित

sable FAR) का तात्पर्य
न उपविधि में अनुमन्य
मा तक अनुमन्य अतिरिक्त
विहित शुल्क का भुगतान

satory FAR) का तात्पर्य
रण अथवा जनसुविधाओं
से प्राधिकरण को निःशुल्क
की क्षतिपूर्ति हेतु अवशेष
अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.

धिमुक्त या अभिभोग के लिए
ह अध्ययन, आवास, शयन
सोई घर, स्नानगृह, शौचालय
ह और स्टोर रूम, कारीडोर
अन्य स्थान, जो प्रायः आवास
सम्मिलित नहीं होंगे।

बीच मध्यवर्ती ऐसे तल य
) के बचे हुए स्थान से है ज
हो और जिसे भण्डारण
हो।

ल के ऊपर किन्ही दो तलों
निचले तल से पहुँचा जा सके

(3)

1.2.14 **"उपयोग समूह" (यूज ग्रुप)** का तात्पर्य अधिभोग के अनुसार भवन के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए मुख्य उपयोग से है, जिसके लिए भवन या भवन का कोई भाग प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो। अधिभोग में अनुसंगी अधिभोग भी सम्मिलित है। अधिभोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार :–

(I) **"आवासीय भवन"** : के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। "एकल आवासीय भवन" का तात्पर्य आवासीय उपयाग हेतु एक भूखण्ड पर एक आवासीय भवन से है।

(II) **"शैक्षिक भवन"** : के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कालेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु लोग एकत्र होते हों।

(III) **"संस्थागत भवन"** : के अन्तर्गत वे सभी भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों यथा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार या भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल या दुर्बल शिशुओं की देखभाल या अरोग्य प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के रहने, वृद्ध व्यक्तियों अथवा दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरूद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान भी सम्मिलित हो। संस्थागत भवन में अस्पताल, सैनीटोरियम, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं और दण्डात्मक संस्थाएं यथा जेल, कारागार, मानसिक–चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी।

(IV) **"असेम्बली भवन"** : इसके अन्तर्गत भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद–प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति सिविल ट्रैवल, नगरीय यात्रा तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों क लिए प्रयुक्त होता हो, उदाहरण स्वरूप नाट्यशाला, छविगृह, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, स्केटिंग, व्यायामशाला, नृत्य, गृह क्लब, यात्री स्टेशन, वायु, थल अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीड़ा स्थल आदि।

2.5 महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य प्रकृति के बहुमंजिले निर्माण हेतु यदि स्थल निर्दिष्ट हों, तो वहाँ भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण अनुमन्य होगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्राविधान केवल नए स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर लागू होंगे, पूर्व स्वीकृत अथवा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लागू नही होंगे।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नगरों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/स्काईलाइन, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निषिद्ध क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से संरक्षण योग्य क्षेत्रों में "हाई–राईज" निर्माण अनुमन्य नही होगा। अतः अपने–अपने नगरों में ऐसे स्थलों/क्षेत्रों को सड़क/रेलवे लाइन/नदी एवं नाले अथवा अन्य भौतिक आकृतियों से सीमांकित करते हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शासन के अनुमोदन हेतु एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि भवन उपविधि में तद्नुसार आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किए जा सकें।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)
सचिव

संख्या: 3001 (1)/9–आ–3–2001/19 विविध/2001(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू. पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ. प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, 350, सेक्टर–28, नोएडा।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
29/8/2002
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

आवासीय ले-आउट प्लान/योजना का नियोजन चूँकि दो पद्धतियों : 'प्लाटेड डेवलपमेंट' तथा 'ग्रुप हाउसिंग' पर आधारित होता है, अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में दी गई आवासीय भवन की परिभाषा में से 'एकल आवासीय भवन' से संबंधित वाक्य को समाप्त किया जाता है एवं सुसंगत शासनादेशों में "एकल आवासीय भवन/एकल आवास" को "भूखण्डीय विकास" (प्लाटेड डेवलपमेंट) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2.2 शासनादेश संख्या : 3001/9–आ–3–01–19विविध/01, दिनॉक 29.08.02 द्वारा हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल : 1000 वर्गमी. से बढ़ाकर 2000 वर्गमी. कर दिये जाने के फलस्वरूप 1000 से 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भवन भूखण्डीय विकास की श्रेणी में आ गए हैं जिसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या : 553/9–आ–1–29विविध/98, दिनॉक 25.01.03 के प्रस्तर : 2.3 तथ 2.4 में 500 वर्गमी. से अधिक एवं 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु सेट बैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं अनुमन्य इकाइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है।

2.3 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 3002/9–आ–1–29विविध/98, दिनॉक 08.06.01 के अधीन कतिपय परिष्कार किए गए थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर : 28(ख) में यह अपेक्षा की गयी थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी योजनाओं जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का वर्द्धन/सुदृढ़ीकरण सम्भव है अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है, को बोर्ड द्वारा चिन्हित करने के उपरान्त ही "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयाँ अनुमन्य किए जाने पर विचार किया जाए। अतः विकास प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड स्तर से योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण किए बगैर एकल आवासीय भूखण्डों (भूखण्डीय विकास) के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयाँ अनुमन्य किया जाना नियोजन एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

इस संदर्भ में शासन की अपेक्षा है कि पूर्व विकसित/अनुमोदित योजनाओं में "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयों की अनुमन्यता से संबंधित प्राविधान का कियान्वयन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति एवं उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाय।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था द्वारा यदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 तथा उससे संबंधित समय–समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का विचलन/उल्लंघन किया गया हो अथवा भविष्य में किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन [illegible]

4— कृपया उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करा दी जाय तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(जे.एस. मिश्र)
सचिव

<u>संख्या : 2561(1)/आठ–1–05, तद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. विकास प्राधिकरणों के समस्त उपाध्यक्षों को इस आशय से कि बिन्दु संख्या : 2.1, 2.2 एवं 2.3 में उल्लिखित संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में समायोजित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रामवृक्ष प्रसाद)
विशेष सचिव

संख्या-2026/9-आ-3-96-2-आ०नी०/89



प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष/
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 7 मई, 1996

विषय:- नगरों की महायोजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए अनुमन्य एफ०ए०आर० का पुनर्निर्धारण ।

महोदय,

नगरीय क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग पेटर्न पर आवासीय निर्माण हेतु भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० तथा अधिकतम ऊंचाई आदि के लिए शासनादेश संख्या-4383/37-3-89-2-आ०नी०/89, दि०-01-01-90 द्वारा मानक निर्धारित किए गये हैं । यह शासनादेश लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, तथा मुरादाबाद नगरों के लिए अलग-अलग जारी किए गये हैं । इन सभी नगरों में स्थानीय विकास की स्थिति के अनुसार विकसित, अविकसित एवं विकासशील क्षेत्रों के लिए एफ०ए०आर० अधिकतम 2.5 से न्यूनतम 1.2 तक निर्धारित किया गया है ।

2- एफ०ए०आर० के उक्त निर्धारण में भूमि के मूल्य को दृष्टिगत नहीं रखा गया जिसके कारण इन नगरों की महायोजना में ग्रुप हाउसिंग हेतु निर्धारित एफ०ए०आर० कार्यालय के लिए निर्धारित एफ०ए०आर० से अधिक हो गया है । कार्यालय आवासीय भू-उपयोग की अपेक्षा सघन भू-उपयोग है । अतः ग्रुप हाउसिंग के लिए निर्धारित एफ०ए०आर० में विसंगति दृष्टिगोचर होने के कारण इसमें एफ०ए०आर० का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है । इसी प्रकार नगर के विकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए सामान्यतः एफ०ए०आर० 1.2 रखा गया है और विकासित एवं विकासशील क्षेत्रों के लिए 1.5 रखा गया है । नगर के

161
13/5/96

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

[illegible] क्षेत्रों में भूमि का उपलब्धता [illegible] है [illegible] नियम [illegible] विकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग [illegible] को कोई प्रोत्साहन [illegible] नहीं है । यह अनुभव किया गया है कि इन क्षेत्रों में कुछ अत्यन्त पुराने भवनों का पुनर्विकास होकर ग्रुप हाउसिंग विकास की सम्भावनाएं हैं परन्तु उसके लिए उचित नीति एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन [illegible] सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नगरों की [illegible] महायोजना में ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए निर्धारित न्यूनतम एफ०ए० आर० 1.2 को बढ़ाकर 1.5 तथा अधिकतम 2.5 को घटाकर 1.5 करते हुए पूरे नगर में समान रूप से 1.5 एफ०ए०आर० निर्धारित किया [illegible], महायोजना में अन्य भू-उपयोगों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमन्य ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए भी एफ०ए०आर० 1.5 अनुमन्य होगा ताकि ग्रुप हाउसिंग निर्माण को जहाँ एक ओर समान रूप से प्रोत्साहन मिले वहीं दूसरी ओर महायोजना में अन्य सम्बन्धित भू-उपयोगों के लिए निर्धारित एफ०ए०आर० के साथ विसंगति न हो ।

4- उक्त प्राविधान शासनादेश जारी होने की तिथि [illegible] से लागू माना जायेगा एवं इसके पूर्व के अनुमोदित निर्माण [illegible] पूर्व में स्वीकृत नियम ही प्रभावी होंगे । यह शासनादेश प्रदेश के समस्त [illegible] प्राधिकरण [illegible] पर लागू होगा । ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए पूर्व में जारी [illegible] दिनांक 01-01-90 शासनादेश संख्या-4583/37-3-89-2-आ०नी०,89 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

भवदीय,

[illegible]

[illegible] प्रसाद [illegible]

प्रमुख सचिव

संख्या- [illegible]-आ-3-96-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न[illegible] को प्रेषित :-

(1) मुख्य नगर [illegible] एवं ग्राम नियोजक [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible] अनुभाग ।

आज्ञा से,

[illegible]

[illegible]

संयुक्त सचिव ।

सं० आर-2169/9-आ-5-96-2 आर०पी०/09

प्रेषक,

आनन्द प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 1996

विषय : -नगरों की महायोजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए न्यूनतम भूखण्ड एरिया का पुनर्निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2069/9-आ-5-96-2आर०पी०/09, दिनांक 9 मई, 1996 द्वारा ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिए महायोजना में [illegible] था से 1.5 एकड़ पुनर्निर्धारित किया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि [illegible] प्राविधान शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

2- [illegible] संज्ञान में [illegible] है कि शासन द्वारा [illegible] यह निर्णय किया गया है कि उक्त शासनादेश ग्रुप हाउसिंग के [illegible] उन मानचित्रों पर प्रभावी नहीं माना जायेगा जो विकास प्राधिकरण में दिनांक 9-5-96 से पूर्व प्रस्तुत किये जा चुके हैं । ऐसे मानचित्रों का निस्तारण दिनांक 9-5-96 से पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा । शासनादेश दिनांक 9-5-96 इस सीमा तक संशोधित पढ़ा जाये ।

भवदीय,

( आनन्द प्रताप सिंह )
प्रमुख सचिव ।

सं०-2169(1)/9-आ-5-96-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० ।
2. आवास आयुक्त, उ०प्र० ।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

( [illegible] प्रसाद )
संयुक्त सचिव ।

(89) 48

संख्या 553/9-आ-1-2001-[illegible]/99 (आ०व०)

प्रेषक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2003

विषय: भूखण्डीय विकास योजनान्तर्गत भवन की अधिकतम ऊँचाई, तलों की संख्या, सेट-बैक, भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० तथा इकाईयों की संख्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण के विनियमन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार "लो-राईज" निर्माण हेतु निर्धारित मानकों तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में विद्यमान प्राविधानों के दृष्टिगत भवन की अधिकतम ऊँचाई एवं तलों की संख्या के सम्बन्ध में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड एकल भवन की परिधि में आता है, अतः ऐसे भूखण्डों हेतु सेट-बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त प्रत्यावेदनों के [illegible] पर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2002, शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 [illegible] शासनादेशों में निहित भवन की अधिकतम ऊँचाई, तलों की संख्या, सेट-बैक, भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० तथा इकाईयों की संख्या सम्बन्धी प्राविधानों में मुझे निम्नानुसार [illegible] करने का निदेश हुआ है :-

2.1 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत [illegible] वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भवनों की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर (तीन मंजिल) अनुमन्य है, जिसका तात्पर्य है कि स्टिल्ट फ्लोर के अतिरिक्त तीन मंजिल का निर्माण अनुमन्य होगा। स्टिल्ट फ्लोर का प्राविधान न किए जाने की दशा में मंजिलों की अधिकतम संख्या तीन ही अनुमन्य होगी। परन्तु भवन उपविधि, 2000 के प्रस्तर- 3.5.1 में यह प्राविधान है कि [illegible] वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर या [illegible] चौड़ी सड़क पर स्थित है में भू-आच्छादन के बराबर

अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई चार मंजिल (15 मीटर) होगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुपालन में अगल-बगल स्थित भूखण्डों की "प्राइवेसी" तथा "लाइट एण्ड वेन्टीलेशन" की अपेक्षाओं के दृष्टिगत उक्त प्राविधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, में भू-आच्छादन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मंजिल) होगी। चार मंजिल का तात्पर्य स्टिल्ट+चार तलों से है। अतिरिक्त तल क्षेत्रफल हेतु सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आगणित विकास-शुल्क (आन्तरिक एवं बाह्य) का 50 प्रतिशत प्रभार शुल्क देय होगा। स्टिल्ट फ्लोर के अन्तर्गत किया गया अवैध निर्माण शमनीय नहीं होगा तथा स्टिल्ट को पार्किंग के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाए जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रकृति के भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण में पूर्व गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति की अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा आवास एवं विकास परिषद के प्रकरण में आवास आयुक्त द्वारा की जाएगी।"

2.2 शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुसार भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मंजिल) अनुमन्य है, जिसका तात्पर्य है कि स्टिल्ट फ्लोर के अतिरिक्त चार मंजिल (स्टिल्ट+चार मंजिल) का निर्माण अनुमन्य होगा।

2.3 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार एकल आवास में 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु सेट-बैक निर्धारित हैं। शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 द्वारा ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड भी एकल भवन की परिधि में आ गए हैं, अतः 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए सेट-बैक निम्न तालिकानुसार होंगे :-

| भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | सेट-बैक (मीटर) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामने | पीछे | साइड-1 | साइड-2 |
| 501-1000 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 |
| 1001-1500 | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 |
| 1501-2000 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

4 ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों हेतु भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाइयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों को भी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भूमि का "अधिकतम" उपयोग सुनिश्चित हो सके। अतः

87

3

नगरों की महायोजनाओं में प्रस्तावित औसतन जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होंगे।

| भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | भू-आच्छादन (प्रतिशत) | एफ.ए.आर. | अनुमन्य इकाईयों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रसार रहित | प्रसार सहित | [illegible] |
| • 501–750 | 45 | 1.25 | 5 | 3 | 8 |
| • 751–1000 | 45 | 1.20 | 6 | 4 | 10 |
| • 1001–1500 | 40 | 1.20 | 8 | 6 | 14 |
| • 1501–2000 | 40 | 1.20 | 10 | 8 | 18 |

2.5 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एकल भूखण्डों (2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल) पर 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवन निर्माण हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

2.6 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निहित तथा पूर्व में जारी संगत शासनादेशों के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

2.7 उपर्युक्त प्राविधान उन मानचित्रों पर भी लागू होंगे जो स्वीकृति हेतु जमा हैं, परन्तु स्वीकृत नहीं हुए हैं।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)
सचिव

संख्या: 553 (1)/9-आ-1-[illegible]/[illegible] तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
5. अध्यक्ष, यू.पी.आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, यू.पी.रेडको, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

([illegible])
विशेष सचिव

संख्या : 3001 /9–आ–3–2001/19 विविध/2001(आ.ब.)

प्रेषक,

श्री जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2002

विषयः भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित आवासीय योजनाएं सामान्यतः भूखण्डीय विकास (अधिकतम तीन मंजिल भवनों) हेतु अभिकल्पित हैं और उसी के अनुरूप उनमें अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्–आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं आदि का प्राविधान किया गया है। परन्तु ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत अविवेकपूर्ण ढंग से बढ़ रहे बहुमंजिले निर्माण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप जहाँ एक ओर महायोजना घनत्व का उल्लंघन हो रहा है वहीं दूसरी ओर विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बहुमंजिले निर्माण के कारण अगल–बगल स्थित एकल भवनों की प्राइवेसी भंग होती है और प्राकृतिक प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था बाधित होती है जिससे रिहायशी पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता है। अतः भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु शासनादेश संख्या एम 155/9–आ–3–2001/19 विविध/2001 दिनांक 26 फरवरी, 2002 द्वारा कतिपय शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए गए थे और यह अपेक्षा की गई थी कि विद्यमान विकसित क्षेत्रों में "लो राईज" एवं "हाई–राईज" क्षेत्रों का चिन्हीकरण छः माह के अन्दर कर लिया जाए तथा उन्हें महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में संशोधन के रूप में शामिल किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों तथा निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश में निहित मंशा के अनुसार "लो राईज" एवं "हाई राईज" क्षेत्रों का चिन्हीकरण व्यवहारिक नही है जिसके कारण निजी क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही अवरुद्ध हो गई है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिलिखित शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु निम्नलिखित पुनरीक्षित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए जाते हैं :–

2.1 वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर निर्धारित है जो बहुत कम है। इसके कारण भूखण्ड हेतु अनुमन्य भू–आच्छादन के उपरान्त अधिकांश भूमि अग्निशमन सुरक्षा के लिए भवन के चारो ओर वांछित सैट–बैक के अन्तर्गत चली जाती है और भवन में पार्किंग व्यवस्था तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क एवं खुले क्षेत्र का समुचित प्राविधान सम्भव नही हो पाता है। अतः ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।

2.2 "निर्मित क्षेत्र' तथा वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भूखण्डों पर अधिकतम 12.5 मीटर ऊँचाई का निर्माण अनुमन्य होगा, 2000 वर्ग मीटर एवं अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई (4 मंजिल तक) के ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा तथा 4000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के ऐसे भूखण्ड जो 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फारट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर देय होगी। परन्तु भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नही होगा। ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति देने से पूर्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फारट्रक्चर सुविधाएं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं तथा उस क्षेत्र के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत (Integrated) हैं। इस प्रकार वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में देय होगी।

2.3 वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर–2.2 के अनुसार यदि ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा जिससे विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा, अतः ऐसे भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा। परन्तु जिन क्षेत्रों में विद्यमान नीति के अनुसार सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाए वहाँ पर विकास शुल्क नही लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला निर्माण विकास प्राधिकरण अथवा आवास एवं विकास परिषद की किसी योजना का भाग है और जहाँ विकास शुल्क भूमि के मूल्य में अलग से लिया जा चुका हो, वहाँ पुनः विकास शुल्क नही लिया जाएगा। यदि प्रस्तावित स्थल किसी योजना का भाग नही है, तो सड़क एवं ड्रेनेज के लिए वर्तमान लागत पर आगणित वाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा।

2.4 नए विकसित होने वाले क्षेत्रों में जोनल प्लान/ले–आउट प्लान बनाते समय "लो राईज" एवं "हाई–राईज" क्षेत्र पहले से ही निर्धारित कर लिए जाएं। "लो–राईज [illegible] ों में भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर एवं "हाई–राईज" क्षेत्रों में 15 मीटर से अधि[illegible] (भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार) होगी तथा अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़के, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाओं, आदि का अभिकल्पन एवं विकास अनुमन्य एफ.ए.आर. एवं घनत्व के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

विषयः हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी.पी.आर. के अनुमोदन के संबंध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले विकास क्षेत्र में मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 का चयन शासन द्वारा किया गया है। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इण्डस्ट्रीज लि0 को 1765 एकड़ भूमि विकसित करने की अनुमति प्राप्त हुई है एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 को 1784 एकड़ भूमि को विकसित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने धारा–28 के अन्तर्गत सुल्तानपुर रोड पर 4500 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना निर्गत की है। उक्त अधिसूचित भूमि से 1765 एकड़ भूमि परिषद की बैठक में मेसर्स अंसल लि0 को हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु दिये जाने का निर्णय लिया है। मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 द्वारा सीतापुर–हरदोई रिंग रोड पर हाईटेक टाउनशिप को विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया था। सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 ने हाईटेक टाउनशिप को विकसित करने हेतु डी.पी.आर. प्रस्तुत की। प्रस्तुत डी.पी.आर0का परीक्षण शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा 13.07.2006 को किया। विकासकर्ता कम्पनी ने सीतापुर–हरदोई रोड पर अपना प्रस्ताव प्रेषित न कर लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर अपना प्रस्ताव प्रेषित किया है। चयनित भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि का भाग है एवं विकासकर्ता कम्पनी ने उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से चयनित 1784 एकड़ भूमि को अभी तक अवमुक्त भी नहीं कराया है। सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 ने जो भूमि प्रस्तावित की है उसमें लगभग 400 एकड़ भूमि मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष में अवमुक्त भूमि का भाग है अर्थात दोनों विकास कर्ता कम्पनियों की भूमि ओवर लैप कर रही है। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 की कान्सेप्चुअल डी.पी. आर. अनुमोदित की जा चुकी है एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 की डी.पी.आर. भूमि की उपलब्धता न होने के फलस्वरूप अनुमोदित नहीं की जा सकी है। इस आशय की सूचना एवं दिनांकः 13.07.2006 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त विकासकर्ता कम्पनी को प्रेषित कर दी गयी है।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 के पास 1784 एकड़ भूमि की उपलब्धता एवं अर्जन की स्थिति स्पष्ट न होने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई भी निर्णय नही ले पा रही है अस्तु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव शासन को वस्तुस्थिति प्रेषित करते हुए विचारार्थ प्रस्तुत है।

29/8/2006
CTP

विषय: मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या: एसएस–281 तथा एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

प्राधिकरण द्वारा 80 के दशक में ऐशबाग क्षेत्र में मोतीझील के निकट मोतीझील योजना बसायी गयी थी। इस योजना के तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या: एसएस–281 व एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक हेतु 73.46 वर्गमीटर भूमि छोड़ी गयी थीं किन्तु निर्माण करते समय मार्ग डेड एन्ड न रखकर सीधा कर दिया गया, जिसके कारण कल्डीसेक नहीं बनाया गया तथा रिक्त भूमि को दो भूखण्डों में सृजित कर भूखण्ड संख्या: एसएस–282 को आधी भूमि आवंटित कर दी गयी। भूखण्ड संख्या: एसएस–281 के स्वामी द्वारा भी संलग्न भूमि के आवंटन की मांग की गयी है। चूँकि प्रकरण तलपट मानचित्र के भू–उपयोग परिवर्तन का होने के कारण उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक: 06.10.2003 को विषय सं0–6 पर स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी तथा आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक: 01.7.2006 को संस्तुति की गयी।

अस्तु गठित समिति तथा स्थल पर डेड एन्ड न बनने के कारण कल्डीसेक के निर्माण न होने की दशा में भू–उपयोग कल्डीसेक के स्थान पर आवासीय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

19/8/2006

मुख्य नगर नियोजक

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड सं0ः एसएस–281 एवं एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक (Cul-de-sac) हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांकः 6.4.2003 में प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु उ0प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान टाइम्स एवं हिन्दुस्तान) में सूचना दि0ः 28.11.2003 को प्रकाशित की गयी। निर्धारित अवधि में कुल दो आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए जो क्रमशः श्री हरि शंकर श्रीवास्तव व श्री राम जनम यादव के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। धारा–13 के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं शासन के आदेश के अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार कर अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना निर्धारित है।

आज दिनांकः 01.7.2006 को प्रातः 12.30 बजे उपरोक्त संदर्भित समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें दोनो आपत्ति कर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमन्त्रित किया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। निम्नलिखित दो आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए, दोनों आपत्ति कर्ताओं के तथ्यों एवं पक्षों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आपत्तिकर्ता भूमि का आवंटन अपने पक्ष में कराना चाहते हैं अर्थात दोनों आपत्ति/सुझावों का संबंध प्रश्नगत भूमि को कल्डीसेक (यातायात एवं परिवहन) भू–उपयोग से आवासीय किये जाने से संबंधित नहीं है।

प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन के सभी पहलुओं पर समिति द्वारा विस्तृत एवं सम्यक विचार किया गया तथा यह पाया गया कि

1. प्रश्नगत स्थल की वर्तमान परिस्थितियों में कल्डीसेक के रूप में उपयोगिता शेष नहीं रही है।
2. सामान्यतः कल्डीसेक का प्राविधान मार्ग के अन्त में डेडएन्ड (Dead-end) होने पर किया जाता है परन्तु प्रश्नगत स्थल डेडएन्ड (Dead-end) नहीं है एवं स्थल के ऊपर एवं नीचे सर्कुलेशन एवं टर्निंग हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध हैं अतः कल्डीसेक को समाप्त किया जा सकता है।
3. प्रश्नगत कुल 73.46 वर्गमीटर भूमि में से भूखण्ड सं0– एसएस–282 से संलग्न भूमि का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है तथा भूखण्ड 281 के साथ संलग्न भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। इस परिस्थिति में भी रिक्त पड़ी भूमि का दुरुपयोग रोकने के लिये स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के आलोक में प्रश्नगत 73.46 वर्गमीटर भूमि को कल्डीसेक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गई।

1/7/06 | 1/7/2006
---|---
(अनिल भटनागर) | ( सी0पी0शर्मा )
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | मुख्य नगर नियोजक

( बी0बी0सिंह )
उपाध्यक्ष

विषयः– खसरा संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

पक्ष श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 15.03.04 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि पक्ष के कथनानुसार 1978 से पंकज सर्विस स्टेशन के नाम चल रहा है। उक्त मानचित्र परीक्षणोपरान्त तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 09.08.04 के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा निर्णय दिया गया था कि **''पक्ष द्वारा प्रस्तुत पेट्रोल पम्प के स्थल का भू–उपयोग महायोजना–2001 के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है, जिसमें पेट्रोल पम्प की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है'', जोकि पताका–क पर संलग्न है।** निरस्तीकरण के पश्चात पक्ष ने अपने स्तर से शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया, जिसके क्रम में शासन द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि **''पेट्रोल पम्प अगर नियमित है तो उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर कार्यरत पेट्रोल पम्प को कतिपय शर्तो के साथ कार्यरत रहने देने पर प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जा सकती है। उक्त अभिमत के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें'' जोकि पताका–ख पर संलग्न है।** शासन के पत्र के साथ संलग्न नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के **''पत्रांक 4567/व0नि0(4) लखनऊ महा0/2005– 06 दिनांक 29.07.05 के अनुसार महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टिका में विशेष अनुमति से प्राधिकरण स्तर से पेट्रोल पम्प अनुमन्य किया ज़ा सकता है'' जोकि पताका–ग पर संलग्न है।**

अतः आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग–3 के **शासनादेश संख्या–4910/8–3–05–20एलयूसी/2005 दिनांक 14 दिसम्बर 2005** के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

27/4/2006

(अनूप शर्मा)
प्रभारी प्रवर्तन/भवन–2

(डा0 राम बिलास यादव)
सचिव

**विषय : श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

श्री राम कुमार शुक्ला, वेतनमान लिपिक के पद पर विभाग में कार्यरत है। श्री शुक्ला की किडनी का प्रत्यारोपण स्थानीय एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में दिनांक 22.11.96 को किया गया था। वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु श्री शुक्ला की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इनके जीवन रक्षार्थ मानवीय आधार पर चिकित्सा कराने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.08.97 तथा दिनांक 22.01.2000 द्वारा क्रमशः रू0–25,000.00 एवं रू0–39,000.00 की धनराशि सहायतार्थ स्वीकृत की गयी थी, जिसके अनुपालन में उक्त धनराशि का भुगतान/ किया जा चुका है।

श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक पर व्यय की गयी धनराशि रू0–2,00,000.00 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिये गये चिकित्सा अग्रिम रू0–25,000.00 + 14,000.00 = रू0–39,000.00 की स्वीकृति के अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय के उपरोक्त आदेश बिन्दु–2 के क्रम में रू0–50,000.00 की चिकित्सा सहायता भविष्य में श्री शुक्ला के जीवन रक्षार्थ दिए जाने की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतः श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन रक्षार्थ रू0–50,000.00 के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

26/9/06

(के0 के0 सिंह)
अपर प्रभारी अधिकारी
(अधिष्ठान)
विकास प्राधिकरण लखनऊ

(डा0 राम विलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Phone : 91 (0522) 2668004-8, 2668700, 2668800
Fax : 91 (0522) 2668017, 2668129



Department of Nephrology & Renal Transplantation
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow - 226 014, INDIA

**Prof. R. K. Sharma**
MD, DNB (Neph), FAMS, FASN, FISN, FIMSA
Professor & Head
E-mail: rksharma@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 2121 (O), 2122 (R)

**Prof. Amit Gupta**
MD, DNB (Neph),
Professor
E-mail: amitgupt@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 2123 (O), 2124 (R)

**Dr. Sanjeev Gulati**
MD , DNB (Paed), FIPN (Toronto) DNB, DM (Neph)
Associate Professor (Paed Neph)
E-mail: sgulati@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 2468 (O), 2150 (R)

**Dr. Mufazzal Ahmed**
MD, DNB, DM (Neph)
Assistant Professor
E-mail: mufazzal@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 2127 (O), 2128 (R)

**Dr. Alok Kumar**
MD, DM, DNB (Neph), MNAMS
Assistant Professor
E-mail: alok@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 2970 (O), 2971 (R)

**Dr. Narayan Prasad**
MD, DNB (Med), DM, DNB (Neph), MNAMS
Assistant Professor
E-mail: narayan@sgpgi.ac.in
Ph. Ext. 3187 (O), 3188 (R)

PGI/Nephro/RK/1506 /06. Dated : 24.7.06

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. R.K. Shukla, CR NO. 1996012487 is a renal transplant receipient. He has received kidney transplant in this hospital on Nov. 1996. The patient is taking drugs i.e. Wysolone, Azoran, Cyclosporine etc. which are essential & life saving. The approximate expenditure for these medicine would be Rs. 12,000/- per month or Rs. 1,44,000/- per year, from 24.7.06 to 23.7.07.

R. K. Shukla
Signature of patient

Rb
(DR. R.K. SHARMA)

Dr. R. K. SHARMA
PROF. & HEAD
Deptt. of Nephrology
S.G.P.G.I.M.S., Lucknow

D

SANJAY GANDHI POST GRADUATE
INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
RAE BARELI ROAD, LUCKNOW – 226 014

Name: RK Shukla CR. No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Diagnosis: Renal allograft Recipient
DOT 22/11/99 Pyogenic + tubercular glutial abscess ATT since 11-3-06

**Investigations Ordered**

19/8/6

- ☐ Heamatology
- ☐ Coagulation
- ☐ Cl. Chemistry
- ☐ Urinalysis & Fluids
- ☐ Cytology
- ☐ Bacteriology
- ☐ Serology
- ☐ Plain X-ray
- ☐ Ultrasound
- ☐ CT
- ☐ MRI
- ☐ Nuclear Medicine
- ☐ Immunology
- ☐ Medical Genetics
- ☐ Endocrinology
- ☐ GI Endoscopy

**Others**

- ☐ F.U. after
- ☐ 1 month c
- ☐ reports of
- ☐

Hb
BUN creat
[illegible]
S Iron + TIBC
S. Ferritin + [illegible]

℞

Tab Omnacortil 7.5 mg 1 OD

Tab Azoran 75 mg OD HS

Tab Aten 75 mg. 1 OD

Tab Depin R. 20 mg 2 TDS

Tab Pan 40 mg 1 OD

Tab Combutol 600 mg 1 OD

Tab Pzide 750 mg 1 BD.

Next Appointment on..................at..............in

Tab Benadone 40 mg
1/2 " OD

(Signature)

Tab Oflox 200 mg 1 BD

Syp Aptivate 2 TSF BD

Tab Livogen 1 TDS

Tab Folvite 5 mg 1 OD

Tab INH 300 mg 1 OD

Inj Eprex 2000 U S/C
twice weekly

Established - 1992 | First ISO 9001 : 2000 Certified LAB of Lucknow.

# पी. के. पैथॉलोजी

लेब एवं एक्स-रे क्लीनिक

मंनी मौन्टा मार्केट, निकट संजय गांधी संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ फोन

(O.) : (0522) 2668047, 2668226 E-mail : drpk@pkpathology.com, Website : www.pkpathology.com

Dr. P. K. Gupta
B.Sc., M.B.B.S., M.D. (Path.)
**FORMERLY PATHOLOGIST**
King George Medical College Lucknow
MEMBER OF IAPM
International Academy of Pathology

**OUR MOTTO - PATIENT CARE, ACCURACY, SPEED & ETHICAL STANDARD**

Name : R.K. SHUKLA    Lab.No. : 49    Date: 19/08/2006

Sex : Male

Specimen : BLOOD

| | |
|---|---|
| Haemoglobin | : 7.5 gm % |
| Total Leucocyte Count | : 6,200 /cmm |
| Blood Urea Nitrogen | : 29.0 mg% |
| (Normal Range | : 10 - 20 mg%) |
| Serum Creatinine | : 2.55 mg% |
| (Normal Range | : 0.5 - 1.5 mg%) |
| S.G.P.T | : 24.0 U/L |
| (Normal Range | : 6 - 40 U/L) |
| S.G.O.T | : 31.0 U/L |
| (Normal Range | : 6 - 40 U/L) |

Dr.P.K.GUPTA
MBBS,MD,Path

ISO CERTIFIED LAB OF LUCKNOW

N.B.- If there is Disparity with clinical setting, Please contact immediately to Lab.
Equipped with Computersied Autoanalyser, Microwell Elisa Reader, Fully Automatic Digital Heamatology Cell Counter ION Selective Electrodes Based Electrolyte Analyser, E.C.G. & X-Ray Unit (Siemen's)
Time : 8:00 A.M. to 8:00 P.M. Sunday 10:30 A.M. to 1:00 P.M.
शीघ्र जाँच एवं एक्सरे की सुविधा उपलब्ध

## प्रदेश की प्रथम भूजल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना को *(101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना)* लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्ताव को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्राम किला मोहम्मदी, सालेह नगर, भदरूख, बंगला बाजार आदि गावों के मध्य आदिकाल से अहल नामक झील स्थित थी। नगरीय विकास की धारा में यह झील पूरी तरह से सिल्ट और कचरे से भर गयी। वर्ष 1995 में प्राधिकरण ने **कानपुर रोड योजना** के अंतर्गत इस क्षेत्र में **स्मृति उपवन** नामक एक परियोजना प्रारम्भ की थी, परन्तु इस परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में जो वनीकरण किया गया था उसके अंतर्गत 13 एकड़ क्षेत्र में ही वन संरक्षित रखा जा सका। शेष झील का 21 एकड़ क्षेत्र लो-लाईग क्षेत्र के रूप में रह गया। इस क्षेत्र का वर्षा जल इसी झील में एकत्र होता एवं 25 वर्ष पूर्व तक इस क्षेत्र में जलभराव की कोई समस्या नही थी। झील के समाप्त होने तथा शहरी विकास के कारण इस क्षेत्र में जलभराव की भी समस्या विकराल रूप धारण करने लगी।

प्राधिकरण ने इस समस्या का अध्ययन कर इस क्षेत्र को प्रदेश की प्रथम भूजल सर्वद्यन एवं प्राचीन झील संरक्षण की एक योजना परिकल्पित की।

इस योजना के अंतर्गत 8.0 एवं 13.0 एकड़ क्षेत्र की दो झीलों की डिसिल्टिंग की जानी है तथा पूरे 101 एकड़ क्षेत्र एवं इसके समीप की सड़कों का वर्षाजल इन झीलो में लाया जायेगा। इस क्षेत्र में इस कार्य हेतु कोई मिट्टी भराई नहीं की जायेगी। मात्र फुटपाथ पर मिट्टी भराई का कार्य किया जायेगा।

इस क्षेत्र में पूर्व से 54 प्रकार के 3500 वृक्ष लगे है तथा 5000 और वृक्ष 47 प्रजातियों के लगाये जायेंगे। इस प्रकार से इस **नगरीय उपवन** में 101 भारतीय विदेशी प्रजातिया लगाई जायेगी।

इस उपवन में नगरीय वन के अतिरिक्त जलक्रीड़ा, बर्ड वाचिंग पैवेलियन, आधुनिक सुविधाओं-युक्त [redacted], कॉटेजेज जिसमें नाव से भी आया-जाया जा सकेगा, की सुविधा के साथ भोजनालय, आधुनिक व्यायामशाला, प्रशासनिक भवन, आदि का प्राविधान प्रस्तावित है।

इस योजना के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं0 | क्षेत्रफल का विवरण | क्षेत्रफल |
|---|---|---|
| 1 | कुल क्षेत्रफल | 101 एकड़ |
| 2 | संरक्षण की जाने वाली झील का क्षेत्रफल | 21 एकड़ |
| 3 | पूर्व विकसित वन का क्षेत्रफल | 13 एकड़ |
| 4 | विकसित किये जाने वाले वन का क्षेत्रफल | 62.5 एकड़ |
| 5 | विशेष बगीचो का क्षेत्रफल | 4.50 एकड़ |
| 6 | अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल | 2.65 एकड़ |

इस परियोजना की लागत रु0 15.00 करोड़ के आसपास आंकी गई है। परियोजना की डिजाइन प्रमुख लैण्डस्केप आर्कीटेक्ट प्रोफेसर शहीर द्वारा तैयार की जा रही है। परियोजना की कन्सेप्ट ड्राइंग तैयार कर दी गई है। 15 अगस्त 2006 को माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा योजना का शिलान्यास किया जा चुका है।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23/8/06

## विषय संख्याः 13 पृष्ठ संख्याः 64

विषयः ह्यूमन एण्ड एजुकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड–6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

ह्यूमन एण्ड एजुकेशनल रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड–6, गोमती नगर को 7067.61 वर्गमीटर भूमि इण्टरमीडिएट स्कूल के लिये आवंटित की गयी थी। तलपट मानचित्र में नर्सरी/प्राइमरी स्कूल के लिये प्रस्तावित है। बल्कसेल की पत्रावली पर तत्कालीन सचिव महोदया की संस्तुति पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त भूखण्ड इण्टरमीडिएट के लिये आवंटित किये जाने हेतु अनापत्ति दी है एवं लीज डीड भी इण्टरमीडिएट कालेज के लिये निष्पादित की गयी है। भूखण्ड की कास्टिंग इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज के मानक के अनुसार करते हुए, सम्पूर्ण वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी। पक्ष द्वारा मानचित्र अनुमोदन हेतु प्राधिकरण में उपलब्ध कराया गया है वह इन्टरमीडिएट कालेज के मानकों के अनुसार था। किन्तु तलपट मानचित्र में प्राइमरी स्कूल अंकित होने के कारण, अनुमोदन प्राइमरी स्कूल के लिये किया गया है। सोसायटी के सचिव द्वारा एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया है कि प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इन्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने हेतु मानचित्र में तत्सीमा तक संशोधित कर दिया जाये। बल्कसेल की आख्या में अनुसचिव द्वारा भी संस्तुति की गयी है। चूँकि प्रकरण तलपट मानचित्र मे परिवर्तन का है, अतः शासनादेश संख्याः 2438/9–आ–3–90–60एलयूसी/96 दिनांकः 13 अकटूबर, 1998 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही कर प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इन्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

3/4/2006
(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

संख्या–2438 / 9–आ–3–90–60एल.यू.सी. / 96

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर,1998

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 4900 / 9–आ–3–96–60एल.यू.सी. / 96 दिनांकः 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले–आउट प्लान संशोधित कर भू–उपयोग परिवर्तन के लिये भी सम्पूर्ण प्रकिया उ0प्र0 नगर योजना एवें विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अनुसार जनता से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 व 15 के अन्तर्गत ले–आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर । अतः ले–आउट प्लान में संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्नविचार किया गया।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये गये विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन / भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु ऐसे संशोधन की कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 में निहित प्रकिया के समान ही की जाये। अर्थात ऐसे मामलों में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तथा आपत्ति कर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते

हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू–उपयोग परिवर्तन के लिये भू–स्वामियों से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

ह0/–
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या–2438(I)/9–आ–3–98 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपिक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल।
4. उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,
ह0/–
( एच0पी0सिंह )
अनुसचिव

विषय: प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर–बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव: सुरभि पब्लिक स्कूल को 3131.34 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर–बी में वर्ष 2000 में आवंटित किया गया था। प्रबन्धक सुरभि पब्लिक स्कूल ने दिनांक: 02.11.2001 को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया कि प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर–बी में एक अन्य भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर है, को उपरोक्त आवंटित भूखण्ड के स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाये जिसमें इण्टरमीडिएट स्तर का स्कूल खोला जा सके। प्रार्थी के अनुरोध पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक: 17.05.2003 एवं 22.01.2004 में प्रस्ताव भूखण्ड के परिवर्तन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रस्तावित भूखण्ड का भू–उपयोग पार्क, प्ले ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस, ग्रुप हाउसिंग अंकित किया गया। दिनांक: 17.05.03 की बैठक में प्रस्ताव को निरस्त किया गया जबकि 22.10.2004 की बैठक में उपाध्यक्ष महोदय को स्थल निरीक्षण कर अपना अभिमत देने हेतु अधिकृत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय ने एक उपसमिति का गठन किया जिसमें मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रभारी बल्कसेल को नामित किया । समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू–उपयोग कम्यूनिटी फैसिलिटी ही है। कम्यूनिटी फैसिलिटी में जोनिंग प्राविधानों के अन्तर्गत स्कूल को अनुमन्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के आधार पर पुनः प्रस्ताव दिनांक: 09.07.2005 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रेषित किया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

श्री जनेश्वर मिश्र, सांसद सदस्य (राज्य सभा) एवं श्री जय शंकर पाण्डेय, पूर्व विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं श्री बैज नाथ, विधायक समाजवादी पार्टी ने सुरभि पब्लिक स्कूल के लिये प्रस्तावित भूखण्ड को आवंटित करने के लिये पुनः विचार करने के लिये अनुरोध किया है। मा0 सांसद एवं विधायक गणों के अनुरोध पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावित भूखण्ड पर अब तक हुई कार्यवाही एवं बोर्ड के निर्णय का तथ्यात्मक विवरण संलग्न करते हुए 3131.34 वर्गमीटर के आवंटित भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड में परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

3/8/2006

(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

जनेश्वर मिश्र

संस॰ सदस्य
(राज्य सभा)

8, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली 110001,
फोन 23351180/23722112,



VIP /R-06/ 080

संख्या CM/385/मा0-1-2006

तारीख 10,अप्रैल 2006

मुख्य मंत्री, कार्यालय
सांसद कक्ष
संख्या सी॰एम॰/एम॰पी॰/285675/2006
दिनांक 16.5.06

प्रिय भाई मुलायम सिंह जी,

प्रबन्धक/ सचिव, सुरभी पब्लिक कालेज, केशवनगर, सीतापुर, रोड़, लखनऊ, उ.प्र. के संलग्न आवेदन का अवलोकन करें । इन्होंने अपने स्वत: वर्णित आवेदन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शनी योजना के ले आऊट में हाईस्कूल/इण्टर कालेज को भूखण्ड का प्रावधान शामिल कर उसे सुरभि पब्लिक स्कूल के पक्ष में परिवर्तीत किये जाने का अनुरोध किया है ।

कृपया गामीण अंचल के छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु सुरभी पब्लिक स्कूल के पक्ष में भूखण्ड परिर्वतीत किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

सादर,

आपका,

(जनेश्वर मिश्र)

श्री मुलायम सिंह यादव,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उ0प्र0।

सचिव, आवास
कृपया आख्या सहित पत्रावली प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

27-04-2006
(चन्द्रमा प्रसाद)
सचिव, मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन

आवास-1
5.5.06

**जनेश्वर मिश्र**

**संसद सदस्य**
**(राज्य सभा)**

VIP/R/06/142

8, राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली- 100001
टेली. नं0- 23351180



II
12

दिनांक-11.7.2006

प्रिय भाई मुलायम सिंह जी,

श्री जयशंकर पाण्डेय, पूर्व विधायक, फैजाबाद, उ0प्र0 के संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन करें। जिसमें उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकारण द्वारा सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी, सेक्टर-बी, लखनऊ में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल, लखनऊ को आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है।

कृपया आप इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।

सप्रेम,

भवदीय,

**(जनेश्वर मिश्र)**

**श्री मुलायम सिंह यादव,**
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

जयशंकर पाण्डेय
पूर्व विधायक, अयोध्या
पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
फैजाबाद

निवासः–
149, अंगूरीबाग कालोनी, फैजाबाद
दूरभाष (निवास) 05278–261312
मोबाईल 9415139661



पत्रांक ..........................

दिनांक 11.7.06

सेवा में,

माननीय श्री जनेश्वर मिश्र जी,
सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
समाजवादी पार्टी।

विषयः– सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर–बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित करने हेतु।

महोदय,

सेवा में सविनयं निवेदन यह है कि सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर–बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित करने हेतु आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र संख्या–वी0आई0पी0/आर0/06/080 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को लिखा था जिस पर प्रमुख सचिव आवास महोदय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय से पत्रावली अवलोकन करने हेतु मंगा लिया है। कुछ कतिपय अधिकारियों की द्वेष भावना के कारण अभी तक भूमि आवंटित नहीं हो सकी है।

कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उपरोक्त विषयक भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित कराने की कृपा करें।

मैं आपका आभारी रहूंगा।

आदर सहित,

भवदीय

जयशंकर पाण्डेय
पूर्व विधायक–फैजाबाद

...ाथ दूबे
...विधायक
कटरा बाजार, गोण्डा।

आवास
1. जेल रोड, गोण्डा। ✆ 2260,
2. ग्राम व पो० पररा महेशी ✆ 276537
3. C 3 दारुलशफा, लखनऊ ✆ 2220223

मो० : 9415120762

दिनांक 16. 09. 2004

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
कृपया अनुरोधानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
सचिव, मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

विषय – सुरभि पब्लिक स्कूल, लखनऊ को सीतापुर रोड प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर–बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड (3131 व०मी०) को उसी सेक्टर में उपलब्ध 'सुविधाओं हेतु' आरक्षित बड़े भूखण्ड (6331 वर्ग मीटर) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

मुख्य मंत्री कार्यालय
1096974/04
17/09/04

उपरोक्त विषयक प्रबन्धक सुरभि पब्लिक स्कूल ... स्पष्ट पत्र में अंकित प्रकरण के सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख निम्न तथ्य प्रेषित करना चाहता हूँ –

सुरभि पब्लिक स्कूल को प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 15-9-2000 को एक स्कूल भूखण्ड ( 3131 व० मी०) आवन्टित किया गया। इसके

1. सुरभि पब्लिक स्कूल को प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 2-11-2001 को उसी सेक्टर में उपलब्ध सुविधाओं इण्टरमीडिएट कालेज हेतु उपयुक्त न होने के कारण कालेज के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 2-11-2001 को उसी सेक्टर में उपलब्ध सुविधाओं हेतु आरक्षित एक बड़े भूखण्ड ( 6331 व० मी०) से परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया।

हेतु आरक्षित एक बड़े भूखण्ड ( 6331 व० मी०) से परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया। तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक द्वारा सुविधाओं हेतु

2. महायोजना एवं नवीन भवन निकास उपविधि के मानकों के अनुसार जाँच उपरान्त तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक द्वारा दिनांक 19-07-2002 को सचिव प्राधिकरण आरक्षित भूखण्ड को विद्यालय के पक्ष में परिवर्तित करने की संस्तुति प्रेषित की गयी। जिस पर दिनांक ... उपाध्यक्ष द्वारा ऐसा ही किये जाने के द्वारा ले आउट में फैसिलिटी लैण्ड को स्कूल तथा भूखण्ड को फैसिलिटी मार्क करने की संस्तुति पर उपाध्यक्ष द्वारा ऐसा ही किये जाने के आदेश दिये गये। नियोजन समिति की बैठक में भी परिवर्तन पर अपनी

3. तदोपरान्त दिनांक 30-10-2002 को मानचित्रों की स्वीकृति / परीक्षण हेतु गठित नियोजन समिति की बैठक में भी परिवर्तन पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की तथा समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बैठक में उक्त निर्णय के समय प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक श्री जी० एस० गोयल (अब निलंबित) तथा उपनगरनियोजक श्री ... जैन भी उपस्थित थे। प्राधिकरण बोर्ड की मत दी बैठकों में ...

4. लालचवश नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित बताकर प्राधिकरण बोर्ड को भ्रामक विवरण प्रस्तुत करते रहे। जिस कारण वह बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उपाध्यक्ष द्वारा एक विशेष बैठक आहूत की

5. मेरे द्वारा उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० को प्रेषित एक पत्र के सदर्भ में दिनांक 24-5-2004 को इस प्रकरण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा एक विशेष बैठक आहूत की गई। जिसमें नियोजन विभाग द्वारा उपरोक्त बिन्दु-4 पर अंकित अपनी भूल को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को सुविधाओं हेतु आरक्षित ही मान लिया।

चूंकि स्कूल भू–उपयोग भी सुविधाओं का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई भू–उपयोग परिवर्तन निहित नहीं है, बल्कि सुविधाओं के अन्तर्गत ही स्कूल भूखण्ड का ले–आउट में मात्र रेखाकन कर कार्यवाही किया जाना है। अतः उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि, प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 22.01.2004 की बैठक के निर्णय (संलग्नक –17) के अनुसार उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को प्रश्नगत भूखण्ड को सुरभि पब्लिक स्कूल के पक्ष में यथाशीघ्र परिवर्तित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर
भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

C.T.P

24/9/04

E.S

– 4 –

# कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

| प्रेषक, | सेवा में, |
|---|---|
| अपर सचिव,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण,<br>विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ।<br>संख्या 105/प्र० अधि०/BS<br>दिनांक 1/7/04 | अनु सचिव,<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1,<br>बापू भवन, लखनऊ। |

विषय

सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या सीएम-519/9-आ-1-03 एलडीए/04 दिनांक 23 जनवरी, 2004 एवं पत्र संख्या-सीएम-152/9-आ-1-2004-37 एलडीए/01 दिनांक 7 अप्रैल, 2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत संस्था को प्रियदर्शिनी योजना के अन्तर्गत लगभग 3131 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था किन्तु संस्था के अनुरोध पर विभाग द्वारा एक अन्य भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6330 वर्गमीटर है, को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग ग्रुप-हाउसिंग होने के दृष्टिगत पूर्व में यद्यपि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था किन्तु संस्था के अनुरोध पर एवं आयुक्त महोदय के निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 22.1.2004 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण कर प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्पश्चात उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश व प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 27.5.2004 को एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिए अनुमोदित कराया

गया है तथा वह भूखण्ड जिसे मानचित्र में ग्रुप हाउसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस
अनुमोदित ले-आऊट का भाग नही है। उक्त बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः
तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु अंकित
कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ऐसी स्थिति में ग्रुप हाउसिंग नही
जाना जा सकता है, वरन इसे 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं
हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि
प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के
तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत
प्रकरण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 में लिये गये निर्णय के क्रम में
भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन
प्राप्त किया जाय।

उपर्युक्त क्रम में प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड
क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन सुविधाओं हेतु एवं जनसुविधाओं हेतु
आपेक्षित क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने से
सम्बन्धित प्रस्ताव को आगामी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

भवदीय,

(एस0डी0 दोहरे )

अपर सचिव

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 के विषय संख्या-13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. श्री जी०एस० गोयल, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री एस०एम० दलाल, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
3. श्री एस०बी० भटनागर, एग्जीक्यूटिव सिस्टम/प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में लिए गये निर्णय के कम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया। आज की बैठक में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में वर्ष 1995 में अनुमोदित प्रश्नगत सेक्टर के तलपट मानचित्र के की-प्लान का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिये ही अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे इस ले-आउट में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आऊट का भाग नहीं है। इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में अन्य कोई मानचित्र भी उपलब्ध नही है जिससे यह पुष्टि हो सके कि प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग भू-उपयोग मे नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। अतः मत स्थिर हुआ कि सम्भवत तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप-हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ग्रुप हाऊसिंग नही माना जा सकता है, वरन् इसे वर्ष 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जायेगा। उपर्युक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 में लिये गये निर्णय के कम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(एस०बी० भटनागर)
एग्जीक्यूटिव सिस्टम/
प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल
ल० वि० प्रा०।

(एस०एम० दलाल)
नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उत्तर प्रदेश।

(जी०एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक,
ल० वि० प्रा०।

( मनोज सिंह )
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

पत्र संख्याः- 336/सीटीपी/2005 दिनांक 20 दिसम्बर, 2005

सहायक जनसूचना अधिकारी,

जनसूचना अनुभाग से संबंधित अपने पत्र संख्याः 27/ज0सू0का0/05, दि0: 08.11.2005 (फार्म सं0–59) का सन्दर्भ लें जिसके कम में प्रबन्धक/सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल, स्थित केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ (निकट प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर–बी) द्वारा वांछित उनके प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड की निम्नलिखित बैठकों में रखे गये प्रस्ताव एवं उन पर लिये गये निर्णय की छाया प्रतियॉ पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं :–

1. दिनांकः 17.05.2003 – विषय सं0–10
2. दिनांकः 22.01.2004 – विषय सं0–13
3. दिनांकः 15.07.2004 – विषय सं0–11
4. दिनांकः 18.11.2004 – विषय सं0–13
5. दिनांकः 19.03.2005 – विषय सं0–27
6. दिनांकः 09.07.2005 – विषय सं0–13

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (13 पृष्ठ)।

20/12/2005

( सी0पी0शर्मा )
मुख्य नगर नियोजक

प्रतिलिपिः

जनसूचना अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

( सी0पी0शर्मा )
मुख्य नगर नियोजक

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

===

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17.5.2003 में उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या-10 प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अमान्य पाते हुए इसे निरस्त कर दिया गया था। पूर्व बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् प्राधिकरण के निर्णय की प्रति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। इस सम्बन्ध में श्री देवी दयाल शास्त्री, सदस्य विधान परिषद द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिनांक - 31.7.2003 को प्रेषित पत्र में प्रश्नगत प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र संलग्नक-2 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। उक्त के क्रम में प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

0-0-0

Anayal

LDA Meeting 17.5.2003

4

निर्णय : डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक तथा गाँधी सेतु के निर्माण के पश्चात बैराज से लेकर सहारा शहर के बीच के स्थल का विकास वहां की स्थानीय आवश्यकता बन गई थी। इसको देखते हुए रमाबाई अम्बेडकर पर्यटक स्थल के कराये गये विभिन्न विकास कार्यों से प्राधिकरण अवगत हुए तथा अब तक कराये गये कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिये गये कि इस परियोजना में जो भी व्यय अब तक हुए हैं उसकी प्रतिपूर्ति शासन से शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : ७ वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : ८/१५८ से ८/१६० के सम्मुख स्थित पार्क में श्री चन्द्रदीप सिंह के निर्मित भवन की भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : ८ भूखण्ड संख्या : १/७ वास्तु खण्ड के आवन्टी श्री सत्य देव पचौरी के प्रार्थनापत्र में अंकित लोकेशन शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : ९ भगवान इन्डस्ट्रीज की पट्टागत भूमि संख्याः ७२ ए, ७३ के ग्राम-करेहटा, ऐशबाग इन्डस्ट्रियल एरिया के फ्री-होल्ड के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : १० प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित ३१३१.३४ वर्ग मी० स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अमान्य पाया गया तथा निरस्त किया गया।

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर– बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमी0 स्कूल भूखण्ड की परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

---

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल अनुभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल हेतु एक भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी0 आवंटित किया गया था।

कालान्तर में सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उक्त स्कूल भूखण्ड के स्थान पर इन्हें इस योजना में जन सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्ग मी0 की भूमि आवंटित कर दी जाये, जिससे वह इस स्थल पर इण्टरमीडिएट स्तर तक का विद्यालय चला सकें।

इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग में परीक्षण कराया गया तथा यह अवगत कराया कि नियोजन की दृष्टि से जनसुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड का सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु उचित होगा कि उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी0 को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। उक्त परीक्षण में यह उल्लेख किया गया कि 6331.65 वर्ग मी0 क्षेत्रफल नियोजन के माप दण्डों के अनुसार इण्टरमीडिएट कालेज हेतु कम है।

उपर्युक्त क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा जन सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को स्कूल हेतु तथा स्कूल हेतु आरक्षित भूमि को जन सुविधाओं मार्क करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के क्रम में स्थल पर नापजोख के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत सेक्टर (पार्ट) का भू उपयोग लखनऊ नगर की महायोजना में 'पार्क एवं क्रीड़ास्थल' के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जबकि स्थल पर पूर्व में ही प्राधिकरण की योजना विकसित हो गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को प्राधिकरण की योजनाओं में तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के समक्ष दि0 30.10.02 को प्रस्तुत किया ग-या, जिसमें समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीतापुर रोड प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर बी की वह भूमि जिसे भूलवश लखनऊ महायोजना में पार्क एवं क्रीड़ा स्थल दर्शा दिया गया है, के भूउपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा लखनऊ की आगामी महायोजना के ड्राफ्ट में प्रश्नगत भूमि के भूउपयोग को आवासीय में रखने हेतु कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर बी में प्रस्तावित प्रश्नगत स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी0 के भू उपयोग को जनसुविधाओं हेतु तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमी0 के भूउपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय लिया गया। (उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुसूची 1 पर संलग्न है।

कालान्तर में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक

अन्य अनुमोदित लेआउट प्लान भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें प्रश्नगत सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित दर्शाया गया। यह लेआउट प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति के स्तर से भी अनुमोदित है।

उक्त के दृष्टिगत स्कूल भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखण्ड से परिवर्तित करना सम्भव नहीं हो सका, किन्तु सुरभि पब्लिक स्कूल प्रबन्धक द्वारा बार बार स्कूल भूखण्ड को इसी भूखण्ड से परिवर्तित किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में निम्न विकल्प विचारणीय हैं:

1. सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत रखा जाये।
2. यदि ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखण्ड से स्कूल भूखण्ड परिवर्तित किया जाता है तो ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर का क्षेत्रफल अन्य सुविधाओं से ग्रुप हाउसिंग हेतु परिवर्तित किया जाये।
3. लेआउट में भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही नियमानुसार करायी जाये।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Agrawal 7/5/03 7/5

ल०वि०प्रा० की बैठक 22.01.2004

विषय संख्या : 12 कपूरथला,अलीगंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के प्लान न०: 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग का मंतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 13 प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14 ब्रह्मानन्द बालवेद एजूकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 डिवाइन हार्ट फाउण्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवन्टन विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि स्वास्थ्य विभाग से निर्गत हास्पिटल के मानकों की पूर्ति करते हों।~~तो अनुमोदन प्रदान किया जाता है~~

विषय संख्या : 16 अवध अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कब्जा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तो में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार कराके इस सम्पत्ति को विक्रय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत आवन्टन के पश्चात जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 15 जुलाई 2004 का कार्यवृत्त.



विषय संख्या : 11 — प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर डी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित ३७३७.३८ वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया। इसके पूर्व आवन्टित भूखण्ड को ही यथावत् रखा जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 1 — हुसैनाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित "अवध हाट" के निर्माण स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को अग्रसारित किया जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या : 2 — जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एफ" में भूखण्ड संख्या:सी-२/७०९ के सम्मुख तलपट मानचित्र में अंकित प्राइमरी स्कूल की भूमि के उपयोग को पार्क में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक
विषय संख्या : 3 — महायोजना २००१-२०२१ तैयार किये जाने हेतु यू०डी०पी०एफ०आई० गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि तत्काल महायोजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देते हुए अगस्त, २००४ के प्रथम सप्ताह में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या- 11 पृष्ठ संख्या- 52

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

---

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में विषय संख्या-13(संलग्नक-1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण को निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राधिकरण के निर्देशों के कम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्पश्चात उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश व प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 27.5.2004 को एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिए अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे मानचित्र में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आऊट का भाग नही है। उक्त बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ऐसी स्थिति में ग्रुप हाऊसिंग नही जाना जा सकता है, वरन इस 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिरकण की योजनाओं के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 (कार्यवृत्त-संलग्नक-2) में लिये गये निर्णय के कम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिरकण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

उपर्युक्त कम में प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन सुविधाओं हेतु एवं जनसुविधाओं हेतु आपेक्षित क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

अनु०वि०संख्या : १२ गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-३ में भूखण्ड संख्या : ३/४७ के सामने ले-आउट में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल १००२.०३ वर्गमी०) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-३ में भूखण्ड संख्या : ३/४७ के सामने ले-आउट में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड(क्षे.फ. १००२.०३ वर्ग मी.) का भू-उपयोग स्कूल से परिवर्तित कर आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-१३ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु०वि०संख्याः १४ स्वै०शमन योजना-९८ के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की शमन उपसमिति ब्दारा निरस्त किये गये प्रकरणों पर शासन ब्दारा गठित पुनरीक्षण समिति के समक्ष रखे गये प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को प्रकरण के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति ब्दारा लिये गये निर्णय के क्रम में परीक्षणोंपरान्त निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त मूल कार्य-सूची में सम्मिलित विषय संख्याः ५ से १६ तक एवं अनुपूरक कार्यसूची के विषय संख्याः १३ को समयाभाव के कारण स्थगित किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

(बी०बी०सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अनुस्मरक
विषय संख्याः— 13 पृष्ठ संख्याः— 106

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर—बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन—सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या—10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले—आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या—13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध में आवंटन के नियम, शर्ते एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप—दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर—बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू—उपयोग को जन—सुविधाओं हेतु एवं जन—सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू—उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

(signature) (signature) 26/11/2004

विषय संख्या : 26 — गो0न0योजना के विकल्प खण्ड में विशेष सुरक्षा बल परिसर के निर्माण हेतु रु. 363.41 लाख अग्रिम भुगतान प्राधिकरण निधि से किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 27 — सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में आवन्टित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्गमीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर को आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 28 — मोटर साइकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रौल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 29 — सोसायटी फार अवेयरनेस आफ न्युरल डिजीजेस को गोमती नगर विस्तार में भूमि आवनटन विषयक।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को अधिकृत किया गया कि वे टर्मद्रआफ रेफरेन्स निर्धारित कर लें तथा सन्तुष्टि कर लें कि संस्था वास्तव में धमार्थ संस्था है, लाभ-हानि के बिना कार्य करेगी। संस्था के संविधान का समुचित अध्ययन कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(कु० रेखा गुप्ता) 19/3/2005
सचिव

(बी०बी०सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा) 23/3/05
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

106

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर--बी मे आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या-10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक विचारोपरात प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध मे आवंटन के नियम, शर्तें एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप-दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम मे पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन-सुविधाओं हेतु एवं जन-सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

26/11/2004

श्री रजा
व्यवस्था अधिकारी

विषय संख्याः 12 भूखण्ड संख्या–13 राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक– में बेसमेंट का सम्पूर्ण भाग, भूतल का आंशिक भाग तथा छठे तल का लगभग 85 प्रतिशत भाग का वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायिक उपयोग की मास्टर प्लान–2001 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के कम में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

विषय संख्याः 13 सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर–बी में आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग. मी. के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग.मी. को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

विषय संख्याः 14 मोटर साइकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मोटरसाइकिल/स्कूटर हेतु रु0500/– एवं कार हेतु रु0 800/– प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः 15 विकास प्राधिकरण लखनऊ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त अधिसंख्या पदों के सृजन/स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जाये।

विषय संख्याः 16 गोमती तट विकास परियोजना के अन्तर्गत कुड़ियाघाट क्षेत्र में पक्का पुल से कला कोठी तक तट विकास एवं सौन्दर्यीकरण ।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर--बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन–सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या–10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक् विचारोपरांत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या–13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध में आवंटन के नियम, शर्तें एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप–दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक् विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर–बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू–उपयोग को जन–सुविधाओं हेतु एवं जन–सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू–उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

CTP [signature] 26/11/04 [signature] [signature] 26/11/2004

श्री रजा
व्यवस्था अधिकारी
क्र. दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में इसे circulate करा दें।

## बोर्ड बैठक दिनांक 17.05.2006 विषय संख्या 11 पर हुए निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या

बैठक में समिति ने कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी1 में एस0एस0-।।। के ग्रीनबेल्ट में आवंटित भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। यह पाया गया कि यह भूखण्ड वर्ष 1992 के आस-पास के वर्षों में आवंटित किये गये थे। इन भूखण्डों पर अधिकांशतः भवन निर्माण हो चुका है। अतः समिति यह उचित समझती है कि इन भूखण्डों के आवंटियों का कोई दोष नहीं है। जन-मानस प्रभावित न हो एवं हरित पट्टिका का भी क्षय न हो इसलिए हरित पट्टी 2.78 एकड़ का भू-प्रयोग हरित पट्टी से आवासीय में परिवर्तित करने तथा इतनी ही आवासीय क्षेत्र की भूमि सेक्टर-ओ अथवा ओ विस्तार में हरित पट्टी के रूप में छोड़ना उपयुक्त होगा। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि इस प्रकरण में लेआउट का अनुमोदन क्यों नहीं कराया जा सका के सम्बन्ध में तत्कालीन नियोजन विभाग एवं भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। तत्क्रम में अनुपालन आख्या बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत है।

| | | |
|---|---|---|
| *(सी.पी. शर्मा)* | *(डी.आर. यादव)* | *(डा. राम विलास यादव)* |
| *मुख्य नगर नियोजक* | *मुख्य अभियन्ता* | *सचिव* |

विषय संख्या : 16 पृष्ठ संख्या

**विषय:अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंथान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।**

अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंथान संस्थान के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2006 के माध्यम से अपनी संस्था इन्टर नेशनल सोसाइटी फार हरबल मेडिसिन्स, की स्थापना हेतु 6-7 एकड़ भूमि के आवंटन किये जाने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने कार्यालय पत्र संख्या 509/बल्क सेल दिनांक 24.08.06 द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई में. 31731 (7.8 एकड़) संस्थागत भूमि को रू0 4,500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया था। संस्था द्वारा पुन: अपने पत्र दिनांक 29.08.06 द्वारा यह अनुरोध किया है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि समिति जिसके तत्वाधान में यह अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान चल रहा है सुयोग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों से तो सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध है किन्तु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अत: रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाए।

संस्था के चैरीटेबल होने के सम्बन्ध में आयकर विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है तथा संस्था सोसाइटी एक्ट में वर्ष 1989 से पंजीकृत है। संस्था द्वारा कार्यकलापों एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में विवरण भी संलग्न किया है जिसका संक्षप्ति विवरण निम्नानुसार है :

1. समिति का प्रादुर्भाव वर्ष 1989 में उच्चीकृत फारमाकालोजी एवं थैराप्यूटिक्स विभाग KGMC लखनऊ में हुआ।
2. समिति का उद्देश्य ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी व अन्य लोक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को विश्व के मध्य प्राचीनतम विद्या ''वन औषधियों द्वारा चिकित्सा'' के ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना है।
3. समिति अब तक दो राष्ट्रीय स्तर की व दो विश्व स्तर की वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ विभिन्न संस्थान एवं केन्द्रीय स्व0प0क0 मंत्रालय के साथ मिलकर वर्ष 1993, 1995, 2003 व 2004 में बायोटैकनिकल डबलपमेन्टस इन हर्बल मैडिसन व सम्बन्धित विषयों पर आयोजित कर चुकी है।
4. समिति अपने सदस्यों एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त करके समय समय पर कई प्रकार के स्वास्थ्य रक्षा चिकित्सा शिविर जागरूकता के लिये प्रदेश में

विभिन्न स्थानों पर आयोजित करके जनता की नि:शुल्क परामर्श चिकित्सा एवं औषधि वितरण करती रही है।

5. समिति ने अब तक देश व विदेशों के नामी गिरामी वैज्ञानिकों चिकित्सकों एवं दवाई बनाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अपनी fellowship award कर सम्मानित भी किया है।

6. समिति के अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र सिंह, एम0डी0 को अब तक चौधरी चरण सिंह अवार्ड, डा0 मुखर्जी अवार्ड व कई अन्य अवार्डों से पुरस्कृत किया जा चुका है।

7. संस्थान समाज में रूग्ण व्यक्ति जो विभिन्न असाध्य व्याधियों से ग्रसित है हेतु न केवल अपने शहर लखनऊ एवं समस्त उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत एवं विदेशों में भी अपनी चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श एवं औषधियां नि:शुल्क प्रदान कर, अब तक लगभग दो लाख रोगियों का उपचार कर लाभ पहुंचा चुका है।

8. संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि :-

   1 एक चिकित्सालय भी प्रारम्भिक चिकित्सा के लिये स्थापित किया जायेगा।

   2 लुप्त प्राय: वन औषधियों की प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जायेगा।

   3 प्रस्तावित नये स्वरूप में संस्थान को Deemed University का स्वरूप दिया जा सकेगा जहॉ वन औषधियॉ व इनसे सम्यक रूप से की जाने वाली चिकित्सा की पढाई भी प्रारम्भ की जा सकेगी।

महायोजना के प्राविधानों के अन्तर्गत हरदोई रोड योजना में सेक्टर-आई-1 में प्रस्तावित भूमि का भू-प्रयोग संस्थागत है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न दातव्य संस्थाओं के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए भूमि को रियायती दर (आवासीय दर की 50 प्रतिशत) पर आवंटन किया गया है।

अत: संस्था के उपरोक्त विवरण एवं उद्देश्यों तथा उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंथान संस्थान (इन्टर नेशनल सोसाइटी फार हरबल मेडिसिन्स) को हरदोई रोड योजना के सेक्टर-आई-1 के संस्थागत क्षेत्र में यथोचित भूमि का आवंटन आवासीय दर की 50 प्रतिशत पर किये जाने के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सेवा में,

दिंनाक : 29/8/06

माननीय उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

**विषयः अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान 2/301, विजय खण्ड, गोमतीनगर को हरदोई रोड योजना में आवंटित भूमि न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपके पत्र सं. 509/ बल्कसेल दि. 24.08.2006 के सन्दर्भ में सर्वप्रथम तो हम आपको प्रभावी एवं कृपणीय कृत्य के लिये धन्यवाद देते हुये आपकी मानव मात्र के उत्थान के प्रति समर्थित भावनाओं एवं हृदय की विशालता के लिये हार्दिक आभार प्रकट करना चाहतें हैं जिसे कृपया स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें।

माननीय जैसा कि कई बार वार्तालापों के बीच आपके संज्ञान में लाने का प्रयास भी किया है, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि समिति जिसके तत्वाधान में यह अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान चल रहा है सुयोग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों से तो सम्पूर्ण रूप से समृद्ध है किन्तु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नही है।

इसके उपरान्त भी यह संस्थान समाज में रूग्ण व्यक्ति जो विभिन्न असाध्य व्याधियों से ग्रसित हैं न केवल अपने शहर लखनऊ एवं समस्त उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत एवं विदेशों में भी अपनी चिकित्सा सुविधायें, परामर्श एवं औषधिया निःशुल्क प्रदान कर, अब तक लगभग दो लाख रोगियो का उपचार कर लाभ पहुचा चुका है। इसके अतिरिक्त समय समय पर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वस्तर पर वर्ष 1993, 1995, 2003, 2004, 2005 में वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कर इस चिकित्सा पद्धिति का न केवल प्रचार प्रसार ही किया अपितु इसने सम्भावित लाभ रोगियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कृषकों इत्यादि का भरपूर

सहयोग प्राप्त किया हैं। हमने अपनी वैदिक एवं आयुर्वेदिक पद्धतियों को सम्मानित रुप देकर विश्व आन्दोलन के रुप में उभारा है, और भारत वर्ष ने एक बार फिर से विश्व के सबसे पुराने मानव विज्ञान को जागरुकता दी है।

जैसा कि आजकल विकसित देशों में आहार विहार भोजनोपयोगी प्राकृतिक वस्तुओं तथा सौन्दर्य प्रसाधनों में हैवी मैटलस एंव उन्नत कृषि के तकनीको के फलस्वरुप कृषि उपज के प्रयोग से पैस्टीसाइड रैजिडयू के कुप्रभावों से मानव मात्र को अपूर्तिय क्षति के साथ ही प्रकृतिक स्वास्थ्य के लिए भी गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी हैं।

आर्युवेद, सिद्धा, यूनानी व अन्य दवा बनानें वाली कम्पनियों द्वारा हमारे प्राकृतिक श्रोतो का इतनी तीव्रता से दोहन किया गया है कि कई प्राण रक्षक दवाईयों के पौधें जो प्राकृतिक वातावरण में ही पनप पाते हैं उनकी प्रजातियां प्रायः लुप्त ही हो रही है। यदि समय रहतें इनका संरक्षण एंव संवर्धन नही किया गया तो अपना प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण देश भी अपनी प्रकृतिक सम्पदा से विहीन हो जायेगा। इस प्रकार यह संस्था केवल विलुप्त वन औषिधियों का केवल संरक्षण ही नही करेगा बल्कि हर्बल पद्धति जो चार दशकों में वैज्ञानिक रुप से विकसित की गई हैं मनुष्य का प्रभावी उपचार करेगा। ये आधुनिक वैज्ञानिक औषिधियों के साथ मिल कर एवं आधुनिक निदानीय तकनीकों का प्रयोग करते हुये असाध्य रोगों की साध्य चिकित्सा करेंगा। यह अपने में जीवित एवं जैविक प्रणाली का वैदिक विधानों के द्रारा उपचार का प्रथम संस्थान होगा, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अपनी समीक्षाओं में संस्तुति की है।

इस सम्पदा का तथा आयुर्वेद अनुसंधान कार्यो को वैज्ञानिक पुष्टि प्रदान करने के लिये हमारी संस्था अभी तक प्रथम एंव आखिरी संस्था हैं और यह करने का उपयुक्त ज्ञान किसी भी वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक संस्थानों को नही हैं। यह हमारे स्वय के प्रयत्नों द्वारा 40 वर्षो का अनुसंधान एंव अनुभव हैं। भारत में आज बहुत से अनुसंधान संस्थान है लेकिन उनके अनुसन्धान मनुष्य मात्र की व्याधि एंव स्वास्थ्य के लिये आज तक सफल नहीं हो सके हैं।

उपरोक्त चिक्त्सा पद्विति हानि रहित एंव जीवन दायनी है इसका पुष्टिकरण सारी दुनिया में केवल हमारा ही संस्थान एक मात्र कर सका हैं। हम विश्व भर के वैज्ञानिकों को जो हर्बल औषधियों में ज्ञाता हैं कई बार एकत्रित कर चुके है और सभी को संस्थान के कार्य कलापों का पता हैं। हमने इन संगोष्ठियों में थोडा थोडा आर्थिक अनुदान प्राप्त करकें इनका

सफल आयोजन करके संसार में इस पद्धिती को ख्याति तो दिलवा दी हैं किन्तु जो कुछ आर्थिक अनुदान मिला वो उसी समय उपयोग में ले लिया गया हैं।

अन्त में महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सम्पूण विश्व मैं इस प्रकार का कार्य करनें वाली एक मात्र यह ही ऐसी संस्था हैं जो मानव मात्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। और यदि सम्भव हुआ तो आपके द्वारा आंवरित भूखण्ड पर निर्मित होने वाले संस्थान को एक वृहत विश्वविधालय का स्वरुप भी भविष्य में जल्दी ही दिया जा सकेगा। इससे जो ज्ञान हम लोगों ने अपनें अथक प्रयासो से लगभग चार दशकों में अनुभव किया हैं वह आने वाली सन्तति मे भी ज्ञानोपार्जन के लिये वितरित किया जा सकेगा।

अतः आपसें करबद्व प्रार्थना हैं कि उपयुक्त कार्य कलापों का संज्ञान लेते हुये जो भी सम्भव हो इस भूखण्ड को न्यूनतम दर पर आंवटित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय

(डा0 सतीश चन्द्र शर्मा)
महासचिव

भवदीय

(डा0 नरेन्द्र सिंह )
निदेशक
अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान
2/301, विजय खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ

संख्या 2929

30/7/04

# सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

कार्यालय निबन्धक समितियाँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नवीकरण संख्या 635, 2004,

फाइल संख्या । = 97608,

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इण्टर नेशनल सोसाइटी फार-टरनल मेडिसिन्स, लखनऊ ।

× को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 5508/88-89,

दिनांक 02-02-1989 को दिनांक 02-2-2004, से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

340/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 20-7-2004,

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 फार्म्स निबन्धक-1.6.2002-(419)-50,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

सेवार्थ, सेक्रेट्री,

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त-।,
लखनऊ ।

इण्टरनेशनल सोसायटी फार हरबल मेडिसिन्स,2/301 विजय खण्ड-।।, गोमती नगर, , लखनऊ जो कि संस्थान / न्यास के ज्ञापन दिनांक 02.02.1989 द्वारा बनाया गया है, के पंजीकरण का प्रार्थनापत्र आयकर अधिनियम की धारा 12A(a) के अधीन विहित प्रारूप में दिनांक 15.07.2005 को दिया है, जो कि निर्धारित अवधि में समय से नहीं है।

2. मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे दिनांक 01.04.2005 से इस कार्यालय में प्रयुक्त 12A(a) के रजिस्टर में क्रम संख्या 46 / 06 / 2005-06 पर पंजीकृत किया जाता है ।

Certified copy
(VIVEK NAGRATH)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त-I
लखनऊ

(विवेक नागरथ)
आयकर अधिकारी, (मु.) तकनीकी
कृते आयकर आयुक्त-।, लखनऊ।

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त-।,
लखनऊ ।

के० सं० 58-59/35 /05/2005-06/ तक./आ. आ.-।/लख/ दिनांक :25.01.2006

प्रतिलिपि प्रेषितः-

१ उपर्युक्त आवेदक को सूचनार्थ

२ सहायक आयकर आयुक्त /आयकर अधिकारी 2(2) रेंज--।।, लखनऊ ।

४ अपर आयकर आयुक्त/ रेंज -।।, लखनऊ ।

(विवेक नागरथ)
आयकर अधिकारी, (मु.) तकनीकी
कृते आयकर आयुक्त-।, लखनऊ ।

To,

Dated: 17.06.2006

Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Lucknow.

**Sub: Gift of land (6 to 7 acres) for International Institute of Herbal Medicine (IHHM), Lucknow.**

Dear Sir,

This is to invite your kind attention to the following facts that the International Institute of Herbal Medicine (IIHM), a body of the International Society for Herbal Medicines (ISHM, registered under Society Act 1860) is also associated closely with the "Association for Modernized Promotion of Asian Traditional Medicines" (AMPATM) consisting of twelve Asian countries.

The Society (ISHM) was established in 1988 and the Institute (IIHM) in 1995 since then two World conferences and two National conferences were held by the Society. Biotechnological Development of Herbal Medicines in 1993, World Congress 1995, 2nd World Congress 2003 & National conference in 2004. These conferences have brought together scientist of various fields working with Herbals and Ayurveda. This did not only include prominent Scientist from India but also top Biomedical Scientist from the world such as Memory E Lewis, Walter H Lewis – Head of the department of Biomedicine, Washington University, Dr. Ralph Miller – Ex. Director of Health Services, Canada etc. they all have been honoured with the fellowship of the Society ISHM) and are collaborating continuously with the Institute's ongoing research programmes and visiting the Institutes at regular internals.

Somehow, due to lack of obtainable funds, the Institute (IIHM), which is No. 1 in the country for Herbal Medical Research and Substantiation Scientifically of Indian Herbs of Ayurveda for their use all over the world. Even having an International Reputation Scientifically remained without its own building and required infrastructure.

Your timely help by providing us with 6-7 acres of land on suitable location will provide space for building prestigious Institute with all modern equipments and facilities. Top Scientist, many of whom reside in Lucknow itself are available to work and research for the institute. The area is required because the Institute will have the Laboratories, small Hospital, Quarters for Scientists and Workers, thus will bring the name of Lucknow on the International map as the core centre of Herbal Research for the whole world. People from all strata of the society from Lucknow will be employed for different functions of the Institute. Training of the Scientist in this field will be done for the first time in India and the world in this Institute. This will bring our ancient culture of medicinal herbs on top and we will not be second to any country like China, which provides herbal medicine to the whole world.

The aim of the Institute is to provide scientific data for standard medicinal herbs, their usefulness with high reliability and quality, which is missing in the ancient system of Indian medicines. I wish to emphasize that during the last ten years the use of plant medicines/traditional formulations has become a topic of increasing global importance with both medical and economic implications. Today 70% or may be even more than that of the public world over believe that the herbal medicines/formulations as well as cosmetics are safe and effective. Such widespread use of these medicines and cosmetics raises the questions regarding quality, safety and efficacy of their products. It is essential, therefore, that we should have highly trained professionals with expertise in the fields of Pharmacognosy, Pharmacology, Biochemistry, Microbiology, Toxicology, Analytical, Pharmaceutical Chemistry & allied subjects who can validate the herbal traditional formulations/medicines as well as cosmetological products.

That in order to fulfil the above needs there is an urgent need to establish a centre of relevance and excellence for validation of products marketed by various pharmaceuticals and cosmetics companies for saving the general public from their possible hazards, making them aware not to be carried away in the name of misconception about safety and effectiveness of herbals. This will be revival of cultural heritage and honours of our country in this field.

Hope to get a favourable response from you.

Encls:

1. Copy of Registration of the Society
2. Copy of Memorandum indicating aims and Objects
3. Copy of the activities of the Society
4. Copies of cover pages of Souvenirs of the Seminars and conferences held
5. Tulsi Book cover page
6. Biodata of Dr. N. Singh, Director IIHM & President ISHM

Gratefully Yours

NSingh

**(Dr. Narendra Singh)**
**President**
**International Institute of Herbal Medicine**
**&**
**Director**
**International Society for Herbal Medicine**
**2/301, Vijaykhand – II**
**Gomtinagar**
**Lucknow –226010**

119

# लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
# दिनांक 04 सितम्बर, 2006
# में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री राकेश कुमार मित्तल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री बी0बी0सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 3. | श्री रमेन्द्र त्रिपाठी | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 4. | श्री राम बोध मौर्या | नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम। |
| 5. | श्री ओम नारायण | निदेशक, कोषागार। |
| 6. | श्रीमती प्रभावती सिंह | संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग। |
| 7. | श्री पी.के.जैन | मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, |
| 8. | श्री ए.के.भटनागर | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि। |
| 09. | श्री सिजृन हटडे | मुख्य वास्तुविद,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ। |
| 10. | श्री तुलसीराम चौरसिया | सदस्य, ल.वि.प्रा. |
| 11. | डा. फिदा हुसैन अंसारी | सदस्य, ल.वि.प्रा.। |

अन्य उपस्थिति:

| | | |
|---|---|---|
| 12. | श्री राम बिलास यादव | सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ। |
| 13. | श्री सी0पी0शर्मा | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 14. | डा. मोहन यादव | वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.। |
| 15. | श्री दवनराम यादव | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |

---

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के विषय संख्या : 10 (कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में ) पर गठित उपसमिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार भूमि अर्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 3 — बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।**(बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्या: 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या)**

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव एवं गठित समिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 4 ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : मुख्य नगर नियोजक व्दारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष बड़े मानचित्र की सहायता से प्रश्नगत स्थल को दर्शाते हुए महायोजना–2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू–उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को स्थापित किये जाने की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला गया। उपाध्यक्ष व्दारा भी इसे परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जन प्रतिनिधि श्री चौरसिया व्दारा अनुरोध किया गया कि नई योजनाओं में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को भी दृष्टिगत रखते हुए योजनाये प्रस्तावित की जायें।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र को सीनान्तरित किये जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं देयता के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

| | |
|---|---|
| विषय संख्या : 6 | गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मंजिले ब्लाक्स का निर्माण कार्य। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय का मत था कि दो बेड रुम फलैट्स को भी सम्मिलित किया जाये। |
| विषय संख्या : 7 | एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया। |
| विषय संख्या : 8 | हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी.पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। |
| विषय संख्या : 9 | मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस–281 तथा एसएस–282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया। |
| विषय संख्या : 10 | खसरा संख्याः 221 स, निकट टी.वी.टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रौल पम्प के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये। |

| | |
|---|---|
| विषय संख्या : 11 | श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को रु0 50,000/–चिकित्सा सहायता के रुप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। |
| विषय संख्या : 12 | प्रदेश की प्रथम भू–जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) के सम्बन्ध में प्रस्ताव। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| विषय संख्या : 13 | ह्युमन ऐण्ड एजूकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड–6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | विचारोपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। |
| विषय संख्या : 14 | प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर– बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। |
| निर्णय : | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में आवन्टित 3131.34 वर्गमीटर के आवन्टित स्कूल भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर का स्कूल भूखण्ड परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर तथा पूर्व में आवन्टित क्षेत्रफल हेतु पुरानी दर लगाई जायेगी। |

विषय संख्या : 15 — कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी–1 में एसएस–III के ग्रीनबेल्ट में आवन्टित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या।

निर्णय : समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। भू–उपयोग परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।

विषय संख्या : 16 — अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था को अपने प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण (presentation) हेतु सूचित कर दिया जाये। यह प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय स्थित समिति कक्ष में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष किया जायेगा। इस प्रकरण पर विशेषज्ञ राय हेतु निदेशक,एन.बी.आर.आई. को भी आमन्त्रित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

( बी. बी. सिंह )
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

13.9.06.

(आर.के.मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।